

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023—आषाढ़ 16, शक 1945

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2023

क्र. एफ 1 (ए) 152-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहर लाल नेहरू, पुलिस अकादमी, सागर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 जून व 01-02 जुलाई, 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर यात्रा सुविधा अंतर्गत कोलकाता की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे. एन. पी. ए., सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

6473

भोपाल, दिनांक 23 जून 2023

भोपाल, दिनांक 30 जून 2023

क्र. एफ 1 (ए) 03-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 26 जून 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 18 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत जम्मू-कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री यशपाल सिंह राजपूत — स्वयं
2. श्रीमती रश्मि रंजना सिंह — पत्नी
3. सुश्री प्रत्युशा रागिनी सिंह — पुत्री

(2) श्री यशपाल सिंह, राजपूत, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री तेर सिंह बघेल, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 192-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ., पु. मु., भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है :—

(2) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

क्र. UDH-3-0120-अठारह-पाँच-2023.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत अलीराजपुर विकास योजना, 2031 हेतु मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास के आदेश क्रमांक एफ-3-10-2019-अठारह-5, भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए, अलीराजपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17	पदनाम	संस्था / पता	समिति में
(क) (1) की उपधारा			पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, अलीराजपुर	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र रतलाम / झाबुआ	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, अलीराजपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ड)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, अलीराजपुर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, हरसवाट (लखनकोट)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, रामसिंह की चौकी	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, चिचलगुड़ा (दीपा की चौकी)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, गडात (भुरिया कुआं)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला अलीराजपुर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, अलीराजपुर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अलीराजपुर.	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	वनमंडल अधिकारी, अलीराजपुर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर (म. प्र.)	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023 •

1. क्रमांक-बी-04-18-2018-चौदह-2-407.—राज्य शासन, एतद्वारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की अनुशंसाओं अनुसार मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-14, दिनांक 28 मार्च, 2023 के परिपालन में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना हेतु परिशिष्ट-01 अनुसार 3 वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय रुपये 5190.35 लाख तथा आवर्ती व्यय रुपये 3120.80 लाख की स्वीकृति दी जाती है।

3. पन्ना कृषि महाविद्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार 34 शैक्षणिक पद तथा परिशिष्ट-03 अनुसार 36 गैर-शैक्षणिक पद की स्वीकृति दी जाती है। इनमें 13 गैर-शैक्षणिक पद आउटसोर्स तथा शेष सभी पद नियमित नियुक्ति से भरे जावे।

4. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय, पन्ना की अधोसंरचना निर्माण मध्यप्रदेश शासन तथा अन्य उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली रीश / ब्लॉक ग्रांट से कराई जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण भटनागर, उपसचिव.

## परिशिष्ट-1

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान

क्र.	मद	कुल राशि	(इकाई रुपये लाख में)		
			प्रथम वर्ष के लिए राशि	द्वितीय वर्ष के लिए राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भवनों का निर्माण मुख्य भवन, बालक बालिका : छात्रावास, वर्कशॉप, डीन बंगलो, वार्डन क्वार्टर आदि.	4842.85	437.55 * +	1321.59	1321.59
2	उपकरण	300.00	100.00	200.00	-
3	वाहन 01 बस, 01 जीप, 02 ट्रेक्टर एवं 02 मोटरसायकल.	47.50	30.00	17.50	-
<b>कुल अनावर्ती व्यय</b>		<b>5190.35</b>	<b>2329.67</b>	<b>1539.09</b>	<b>1321.59</b>

\*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

क्र.	मद	कुल राशि	(इकाई रुपये लाख में)		
			प्रथम वर्ष के लिए राशि	द्वितीय वर्ष के लिए राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वेतन एवं भत्ते शैक्षणिक / गैर-शैक्षणिक संवर्ग.	2270.80	701.04	757.17	812.59
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	195.00	60.00	65.00	70.00
3	यात्रा भत्ता एवं पी ओ एल	55.00	16.67	18.33	20.00
4	ब्लॉक	600.00	200.00	200.00	200.00
<b>कुल आवर्ती व्यय</b>		<b>3120.80</b>	<b>977.71</b>	<b>1040.50</b>	<b>1102.59</b>
<b>कुल योग अ + ब</b>		<b>8311.15</b>	<b>3307.38</b>	<b>2579.59</b>	<b>2424.18</b>

## परिशिष्ट-2

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु प्रशासनिक पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) प्रशासनिक एक पद अधिष्ठाता, वेतनमान रुपये 144200/-

(ब) शैक्षणिक पद (संख्या) सातवें वेतनमान अनुसार

क्र.	विभाग	सह प्राध्यापक वेतनमान रुपये 131400/-	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रुपये 57700/-	कुल (सं.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सस्य विज्ञान	01	04	05
2	कृषि अर्थशास्त्र	01	02	03
3	कृषि प्रसार एवं संचार विभाग	01	01	02
4	कीट शास्त्र विभाग	01	02	03
5	जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग	01	02	03
6	हॉर्टिकल्चर	01	02	03
7	मृदा विज्ञान	01	02	03
8	प्लांट पैथोलॉजी	01	02	03
9	पशु विज्ञान	-	01	01
10	कृषि अभियांत्रिकी	-	01	01
11	पौध कार्यान्वयन	-	01	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	गणित एवं सांख्यिकी	-	01	01
13	वानिकी	-	01	01
14	अंग्रेजी	-	01	01
<b>कुल ब</b>		<b>08</b>	<b>23</b>	<b>31</b>

## (स) अन्य पद

क्र.	पद नाम	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रुपये 57700/-	कुल (सं.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रीड़ा अधिकारी	-	01
2	सहायक ग्रंथपाल	-	01
3	प्रक्षेत्र प्रबंधक	-	01
	<b>कुल स</b>		<b>03</b>
<b>कुल ब+स</b>		<b>08</b>	<b>26</b>

परिशिष्ट-3

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु गैर शैक्षणिक पद

## (अ) गैर शैक्षणिक पद

क्र.	पद नाम	वेतनमान रुपये	कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पी ए टू डीन	42700/-	01
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	49100/-	01
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी शैक्षणिक	49100/-	01
4	सहायक लेखा अधिकारी	42700/-	01
5	सहायक	19500/-	03
6	स्टेनो कम्प्यूटर ऑपरेटर	28700/-	01
7	स्टोर कीपर	25300/-	01
8	पुस्तकालय सहायक	25300/-	01
9	प्रयोगशाला सहायक	25300/-	07
10	सेल्फ असिस्टेंट	15500/-	01
11	सहायक (प्रशासनिक भवन)	19500/-	05
<b>कुल</b>		<b>-</b>	<b>23</b>

## (ब) अन्य

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु आउटसोर्स से भरे जाने वाले अन्य पद :-

क्र.	पद नाम	वेतनमान रुपये	कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाहन चालक	195000/-	01
2	सहायक यंत्री	56100/-	01
3	वार्डन	25300/-	02
4	केयर टेकर / सहायक	18000/-	02
5	कनिष्ठ यंत्री	36200/-	01

(1)	(2)	(3)	(4)
6	सुरक्षा सहायक	25300/-	01
7	वाहक (संदेश / पत्र)	15500/-	05
कुल			13

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. 947-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप नियुक्त करती है :—

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)
1	श्री शशांक खरे	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2023

क्र. 1382-3220-2019-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वित्त संहिता, 2012 भाग-1 के खण्ड-1 क्रमांक 1.2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवगठित जिला निवाड़ी के सुचारू संचालन हेतु जिला पेंशन अधिकारी निवाड़ी को आगामी आदेश तक कार्यालय प्रमुख घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय कठाने, अवर सचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 20 जून 2023

क्र. 505-5-अ-एस. सी.-1-2023.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा" विकासखण्ड-मैहर, जिला सतना (मध्यप्रदेश) का नामकरण—"अमर शहीद वीर श्री शंकर प्रसाद पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा" विकासखण्ड-मैहर किये जाने का आदेश दिया जाता है.

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 21 जून 2023

क्र. 1145-भू-अभि.-ड्राइंग-2023.—क्र. एफ-15-30-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013 से मूलग्राम ढोढर ब्लॉक से नवीन ग्राम हामा खेड़ी, नई ननौर के बनने की अधिसूचना जारी होने से नीमच जिले के मनासा तहसील के मूलग्राम ढोढर ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त किया जाता है.

दिनेश जैन, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

क्र. 2460-भू-अर्जन-22.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) परियोजना का नाम:—ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना
- (2) भूमि का विवरण.—
  - (क) जिला—सिंगरौली
  - (ख) तहसील—देवसर
  - (ग) ग्राम—गोंदवाली, पटवारी हल्का :—गोंदवाली-51
  - (घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)		
					सिंचित	असिंचित	पड़ती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	दिनेश कुमार गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, सुनीता गुप्ता, शारदा गुप्ता, सुधा गुप्ता, रंखा गुप्ता सभी पिता रामचन्द्र गुप्ता पता- सिंगरौली, म. प्र.	भूमिस्वामी	575	0.0500			0.020
कुल योग . .							0.020

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

क्र. 2461-भू-अर्जन-22.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) परियोजना का नाम:—ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना  
 (2) भूमि का विवरण.—  
 (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—देवसर  
 (ग) ग्राम—आमो, पटवारी हल्का —आमो-00030  
 (घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.180 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)		
					सिंचित	असिंचित	पड़ती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	महेन्द्र प्रसाद पुत्र नरेशदत्त जाति, ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/1	8.4500	-	0.0300	-
2	चिरौजियो पत्नी महेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/2	0.0400	-	0.0300	-
3	शिवकली देवी पत्नी हरीश देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/3	0.0480	-	0.0200	-
4.	मनीष देव पुत्र हरीप देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/4	0.0320	-	0.0200	-
5	प्रीती पाठक पत्नी दिनेश कुमार पाठक जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/5	0.0400	-	0.0200	-
6	अनूपदेव पुत्र रामकरण देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/6	0.0400	-	0.0200	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	सुधा पत्नी अनुपदेव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/7	0.0400	-	0.0200	-
8	दीपदेव पुत्र बलराम देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.	भूमिस्वामी	341/1/8	0.0400	-	0.0200	-
कुल योग . . .				8.730	-	0.180	-

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वही पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

क्र. 2462-भू-अर्जन-22.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) परियोजना का नाम:—ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2) भूमि का विवरण.—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर

(ग) ग्राम—छीवा, पटवारी हल्का :-सहुआर-19

(घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)			
					सिंचित	असिंचित	डायवर्टेड पड़ती	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	गोपीनाथ पुत्र मातादीन, रामजी पुत्र बैजनाथ, राममिलन पुत्र बैजनाथ, गंगा पुत्र बैजनाथ, समाजिरिया पुत्री बैजनाथ, फिटकिनिया पुत्री बैजनाथ, लल्ली बेवा बैजनाथ,	भूमिस्वामी	480/1	0.0160	-	-	0.016	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	हिन्दूपतिराम पुत्र व्यंकटेश्वर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मथुराप्रसाद, डाक्टर प्रसाद पुत्र मथुरा प्रसाद, रवीकुमार पुत्र मारकण्डेय सभी जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.						
2	कुजनाथ पुत्र मातादीन जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	480/2	0.0040	-	-	0.004
कुल योग . .						0.020	

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

क्र. 2463-भू-अर्जन-22.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) परियोजना का नाम:—ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2) भूमि का विवरण.—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर

(ग) ग्राम—खोभा, पटवारी हल्का —नौदिया आबाद-00018

(घ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.454 हेक्टेयर.

क्र.	भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि का रकबा (हे. में)		
					सिंचित	असिंचित	पड़ती
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्रीनिवास पिता श्यामलाल पाठक चन्द्रभूषण पिता श्यामलाल पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/1/1/1/1	1.41	-	0.152	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	शिवम पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/1/1/1/2	0.008	-	0.008	-
3	उत्कर्ष पाण्डेय पिता चन्द्रभूषण पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/1/1/1/3	0.01	-	0.01	-
4	राजेश, प्रणव पिता कौशलेन्द्र पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/1/1/2	0.02	-	0.02	-
5	नीलेश कुमार पिता हरिषचन्द्र गौतम.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/1/2	0.004	-	0.004	-
6	हेमंत कुमार पिता विजय कुमार पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/2	0.008	-	0.008	-
7	ओजस्वी पाण्डेय पिता राजेश पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/3	0.01	-	0.01	-
8	सुजाता पिता चन्द्रिका प्रसाद	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/4	0.008	-	0.008	-
9	हिमांशु कुमार पिता विजय कुमार पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/5	0.004	-	0.004	-
10	ममता पिता श्रीनिवास पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/6	0.01	-	0.01	-
11	गौरांग पिता अरविंद कुमार गौतम.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/7	0.01	-	0.01	-
12	राघवेन्द्रपति पिता गुलाबपति त्रिपाठी.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/8	0.008	-	0.008	-
13	वर्षा पति सत्यम दुबे	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/9	0.02	-	0.02	-
14	सुधा पति चन्द्रभूषण पाठक	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/10	0.01	-	0.01	-
15	श्याम बिहारी पिता बांके बिहारी.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/11	0.008	-	0.008	-
16	कृपाशंकर पिता नित्यानंद पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/12	0.004	-	0.004	-
17	अंकित पिता रामानंद शुक्ला.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ 1/13	0.004	-	0.004	-
18	सुनील पिता रामगोपाल शुक्ला.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ /2	0.004	-	0.004	-
19	मिनाक्षी पाठक पिता श्रीनिवास पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1/ /1/14	0.01	-	0.01	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	अमित कुमार पिता राजेश कुमार मिश्रा.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/1 /3	0.004	-	0.004	-
21	संजना पिता श्रीनिवास पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/1/2	0.01	-	0.01	-
22	अभिषेक पिता तरुणेन्द्र पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/2	0.02	-	0.02	-
23	अभिजीत पिता राजेश पाण्डेय.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/3	0.02	-	0.02	-
24	अंजना पुत्री श्रीनिवास पाठक.	भूमिस्वामी	4/3/3/1/4	0.01	-	0.01	-
25	दिनेश कुमार पिता रमेश कुमार द्विवेदी.	भूमिस्वामी	4/3/3/2	0.004	-	0.004	-
26	आदेश पिता प्रदीप मिश्रा.	भूमिस्वामी	4/3/3/7	0.004	-	0.004	-
27	अस्मित मिश्रा पिता प्रदीप मिश्रा.	भूमिस्वामी	4/3/3/3	0.004	-	0.004	-
28	अम्बिकेश मिश्रा पिता मुनेन्द्र मिश्रा.	भूमिस्वामी	4/3/3/4	0.004	-	0.004	-
29	आशुतोष पिता गीता प्रसाद तिवारी.	भूमिस्वामी	4/3/3/5	0.004	-	0.004	-
30	अनुराग पिता अनूपसिंह.	भूमिस्वामी	4/3/3/6	0.004	-	0.004	-
31	गुलशेर पिता महामत बक्श.	भूमिस्वामी	4/255/1/2/1	0.026	-	0.022	-
32	खुशबुन निशा पुत्री गुलशेर, सामना बेगम पुत्री गुलशेर.	भूमिस्वामी	4/255/1/2/2	0.024	-	0.024	-
33	अनुष्का पुत्री सत्यभूषण	भूमिस्वामी	4/255/1/2/3	0.004	-	0.004	-
34	अनुराधा पुत्री कमलेन्द्र ब्रा.	भूमिस्वामी	4/255/1/2/4	0.004	-	0.004	-
कुल योग . .				1.712	-	0.454	-

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023

क्र. 833-1-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने में (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर ढोंग बॉध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का विवरण.—

- (क) जिला—सिंगरौली  
 (ख) तहसील—देवसर  
 (ग) ग्राम—ढोंग  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 18.1600 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
526	0.3800	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, (म. प्र.).	ढोंग बॉध के निर्माण हेतु
483	0.1100		
484	0.4300		
494/1/1	0.2000		
677/1	0.1500		
482/1	0.2500		
486	0.2400		
492/1	0.4100		
677/2	0.1500		
482/2	0.2500		
492/2	0.4100		
678	0.6500		
679	0.4100		
476	0.7400		
524/2	0.0400		
485	0.3700		
488	0.4300		
494/1/2	0.2100		

(1)	(2)	(3)	(4)
540	0.3200		
491	0.6500		
496/1/1	0.1600		
513/1/1	0.1100		
496/1/2	0.0300		
496/2	0.1900		
513/1/2	0.1300		
521	0.5000		
501	0.1800		
504	0.2700		
513/2	0.0300		
514/1	0.0300		
514/2	0.0300		
514/3	0.0300		
514/4	0.0300		
514/5	0.0300		
514/6	0.0300		
514/7	0.0300		
514/8	0.0300		
516	0.3400		
518	0.5700		
479	1.0600		
543	0.6400		
544	0.0600		
545/1	0.1200		
545/2	0.0300		
456	0.3400		
508/1/1/1/1	0.3200		
508/1/1/1/2	0.0120		
508/1/1/1/3	0.0120		
508/1/1/1/4	0.0240		
508/1/1/1/5	0.0200		
508/1/1/1/6	0.0120		
508/1/1/1/7	0.0120		
508/1/1/1/8	0.0080		
508/1/1/2	0.0200		

(1)	(2)	(3)	(4)
508/1/1/3	0.0200		
508/1/1/4	0.0200		
508/1/2	0.0200		
508/2	0.0300		
508/3	0.0300		
508/4	0.0300		
508/5	0.0300		
508/6	0.0300		
508/7	0.0300		
506	1.1000		
363/1	0.1500		
474/1	0.0250		
363/2	0.1500		
474/2	0.250		
388/2	0.1000		
389/2	0.1450		
387/2	0.3400		
362/2	0.1450		
681/1	0.1500		
680/1	0.1600		
387/1	0.3400		
388/1	0.1000		
362/1	0.1450		
389/1	0.1450		
680/2	0.1600		
681/2	0.1500		
359	0.2000		
357	1.9500		

कुल योग . . . 18.1600 Ha

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, देवसर में देखा जा सकता है.
- (2) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सिंगरौली को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (3) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (4) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2023

प्र. क्र.-05-अ-82-22-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित किया गया है जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सभाव्य है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग विदिशा के कार्यालय में कर सकेगा :-

## अनुसूची-01

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	विदिशा/रंगई	0.052	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, भोपाल.	सांची-विदिशा मार्ग में बेतवा नदी (रंगई) के पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा / भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है.

## अनुसूची-02

विदिशा जिले के पैकेज-1बी के अंतर्गत सांची-विदिशा मार्ग में बेतवा नदी (रंगई) के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आ रही ग्राम रंगई की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु :-

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)			प्रभावित क्षेत्र जो संपादित किया जाना है		
			(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
(1)	(2)	(3)	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	शीला पत्नी	146/1	0.031	-	0.031	0.031	-	0.031
	महीपभानु शर्मा	146/2	0.126	-	0.126	0.021	-	0.021
			0.157	-	0.157	0.052	-	0.052

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 जून 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र. -अ-82-23-24-पत्र क्र.-801-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	मैहर	बिहराकला	2.973	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नगर संभाग क्रमांक-1, कटनी (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की बिहराकला माइनर व सबमाइनर के निर्माण हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 27 जून 2023	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
	284/6	0.450
	284/8	0.445
	योग . .	0.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) नगर/ग्राम—नौगांव नं. 4

(घ) क्षेत्रफल—0.895 हेक्टेयर.

क्र. 857-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—पासी  
(घ) क्षेत्रफल—0.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/2	0.036
18/4/1	0.024
18/4/2	
43/1	0.056
43/2	
164/2	0.015
164/6	0.046
योग . .	0.177

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्रि, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगावां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 858-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर

- (ग) नगर/ग्राम—बराखुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—0.415 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
260/1	
260/2	0.040
260/3	
261/1	0.031
261/2	0.031
261/3	0.016
261/4	0.015
262/326/1	0.102
262/326/2	0.032
265/1	
265/3	
265/4	0.140
265/5	
265/6	
268/3	0.008
योग . .	0.415

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्रि, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगावां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 859-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—पुरैनी  
(घ) क्षेत्रफल—0.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
57	0.076
53/1/2	8.020
योग . .	0.096

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 860-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—पोईधाखुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—0.111 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
31/2/1	0.013
33	0.015
81/379/1	0.083
योग . .	0.111

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 861-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—खम्हरिया  
(घ) क्षेत्रफल—0.412 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
33/1/1/1	
33/1/1/2	
33/1/2/3/1	0.144
33/2	
33/2/2/2	
385/1	0.088
385/2	
612/1	
612/2	0.020
612/3	
665/1	0.012
665/2	
669/1	0.010
669/2	0.010
975/2/1/1	0.128
योग . .	0.412

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 862-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—लिलौरी  
(घ) क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
306/1/1	0.084
306/1/3	0.152
योग . .	0.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 863-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—नीमी  
(घ) क्षेत्रफल—0.108 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
245/11	0.108
योग . .	0.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 864-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—पोईधाकला  
(घ) क्षेत्रफल—0.057 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
178/4/1	0.013
178/5	0.044
योग . .	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौंद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 865-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—बारीकला  
(घ) क्षेत्रफल—0.788 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
101/1/1/1	
101/1/1/2	
101/1/2	0.029
101/2/1	
101/2/2	
138/1	0.045
162/1	
162/2	0.072
163/1	
163/2/1	0.031
163/2/2	
162/3	
164/1	0.038
164/2	
165/1/1	
165/1/2	0.014
165/2/1	
165/2/2	
166/523/1/1	
166/523/1/2	0.025
166/523/1/3	
166/523/2	
342/3/2	0.034
355/4/1	0.030
366/1	0.003

(1)	(2)
367/1	0.035
406/2	0.270
440/2	0.010
443/1/2	0.142
444/2	0.010
योग . .	0.788

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 866-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—फुटींथा  
(घ) क्षेत्रफल—0.073 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
481	0.020
487/1/1/2	0.053
योग . .	0.073

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 867-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—बहेरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.075 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
147	0.005
144/2/1	0.070
योग . .	0.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 868-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—रेडहान  
(घ) क्षेत्रफल—0.028 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
446/1	0.028
446/2	
योग . .	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 869-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—माजन  
(घ) क्षेत्रफल—0.706 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4	0.172
136/32/1	0.036
213	0.498
योग . .	0.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 870-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—सुजावलखुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—0.339 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
129/1/1	0.090
129/2	0.040
130/2	0.028
131	0.034
132	0.015
147/2/1	0.004
163/2	0.026
163/4	0.102
योग . .	0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 871-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—हलियाकला  
(घ) क्षेत्रफल—0.854 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
155/1	0.036
155/2	0.110
156	0.015
157	0.031
158/1	0.048
161	0.026
162	0.250
163/1	0.305
163/2	0.013
199	0.020
210	0.020
218/1	0.854
योग . .	0.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 872-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

- (ग) नगर/ग्राम—सलैया  
(घ) क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
215/2	0.020
योग . .	0.020

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 873-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—बड़खेर  
(घ) क्षेत्रफल—0.279 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
738/5	0.065
756/2	0.010
759/2	0.034
760/2	0.170
योग . .	0.279

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 874-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर  
(ग) नगर/ग्राम—तिधरा  
(घ) क्षेत्रफल—0.060 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93	0.016
94	0.017
103	0.027
योग . .	0.060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है— कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग चर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), जोबट, जिला  
अलीराजपुर मध्यप्रदेश

प.क्र.-777-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-04-अ-82-20

जोबट, दिनांक 1 जून 2023

**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1977 /री-1/भू-अर्जन/2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कन्वादुदल प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तहसील- जोबट जिला आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
अलीराजपुर	जोबट	ग्राम - कन्वादुदल प.ह.न. 36/92	161	0.082
			156/2	0.024
			155	0.085
			40	0.010
			41	0.010
अलीराजपुर	जोबट	ग्राम - कन्वादुदल प.ह.न. 36/92	27	0.035
			42	0.044
			44	0.030
			46/1	0.029
			47	0.013
			46/2	0.022
कुल योग			11	0.384

प.क्र.-779-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-03-अ-82-2022-23

**प्ररूप- 'घ'**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1972 /री-1/भू-अर्जन/2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-पाटबड़ी, प.ह.न.-37/93, रा.नि.मं.-03, बोरी, तहसील- जोबट, जिला-अलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
अलीराजपुर	जोबट	ग्राम-पाटबड़ी, प.ह.न. -37/93	962	0.018
			860	0.018
			863	0.008
			862	0.016
			865	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
अलीराजपुर जोबट		ग्राम-पाटबड़ी, प.ह.न. -37/93	823	0.018
			811	0.034
			810	0.003
			812	0.003
			814/2	0.038
			815/1	0.023
			819	0.024
			818/2	0.063
			735	0.025
			737	0.034
			741	0.004
			<b>कुल योग</b>	

प.क्र.-781-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1982 /री-1/भू-अर्जन/2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कंसुरिया बारी प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तह. जोबट जिला अलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
अलीराजपुर	जोबट	ग्राम - कंसुरिया बारी प.ह.न. 36/92	95/108	0.019
			95/107	0.033
			95/104	0.010
			95/105	0.100
			88	0.060

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
अलीराजपुर जोबट		ग्राम – केसुरिया बारी प.ह.न. 36/92	76	0.033
			78	0.019
			77	0.009
			87	0.019
			81	0.010
			80	0.015
			86	0.012
			84	0.024
			83	0.027
			79	0.010
			<b>कुल योग</b>	

देवकीनंदन सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), जिला धार,  
मध्यप्रदेश

प.क्र.-2041-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0049-अ-82-2022-23

सरदारपुर, दिनांक 23 जून 2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम.-10 व एल.एम.-10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एम-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55,	15/2	0.040
			14/3	0.006
			15/1	0.011
			13	0.031
			9/1	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55,	2	0.019
			4	0.055
			12/2	0.014
			12/1	0.016
			1/2	0.003
			1/6	0.024
			1/4	0.010
			1/7	0.024
			1/5	0.026
			45/2	0.023
			45/3	0.012
			49/2	0.016
			49/3	0.035
			49/5	0.004
			49/4	0.092
			49/6	0.033
			49/8	0.046
			55/3	0.012
			55/2	0.012
			53/5	0.008
			55/1	0.010
			62/1	0.002
			59	0.041
			58/1/1	0.011
			58/1/2	0.023
			121/2	0.032
121/1	0.011			
120/4	0.049			
393/1	0.024			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—बिछिया, प.ह.नं.—55	394/1	0.069
			394/2/1	0.031
			394/2/2	0.017
			394/2/3	0.001
			413/4	0.011
			414/2	0.034
			414/1	0.029
			415/1	0.022
			423/3	0.030
			423/2/1	0.030
			423/1	0.042
			423/2/2	0.010
			559	0.022
कुल योग			47	1.138



प.क्र.-2046-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0051-अ-82-2022-23

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल.एम.-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81,	189/1/1	0.005
			189/1/2	0.118
			190	0.010
			187/2	0.036
			187/1	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81,	185/2	0.021
			185/1	0.019
			184	0.032
			182/2	0.028
			176/2	0.059
			176/1	0.010
			170/1	0.039
			338/1	0.027
			170/2	0.007
			170/3	0.008
			170/4	0.008
			170/5	0.007
			161/2	0.010
			159/2	0.024
			160/2	0.014
			159/1	0.010
			155/3/1	0.011
			155/2	0.049
			9/1	0.007
			340/2	0.044
			101/2	0.030
			99	0.039
			103	0.002
			22	0.037
			19	0.099
			16	0.056
			15	0.014
			9/6	0.052
			9/5	0.017
			9/4/1	0.011
			340/3	0.002
			9/3	0.008
155/4/2	0.007			
9/2	0.012			
7	0.057			
48	0.044			
155/3/2	0.005			
155/3/3	0.008			
155/4/1	0.008			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-खमालिया, प.ह.नं.-81	154	0.006
			153/3	0.005
			153/2	0.018
			153/1	0.016
			98	0.018
			94	0.019
			95	0.023
			30/2	0.023
			30/3	0.039
			41/1	0.026
			41/2/1	0.030
			41/2/2	0.014
			39	0.025
			44/1	0.040
			50/1	0.089
			50/2	0.020
			50/3	0.021
			47/2	0.047
			389/4	0.008
			387/1/1	0.026
342/1	0.041			
345	0.004			
346/1/2	0.008			
346/1/1	0.018			
<b>कुल योग</b>			<b>68</b>	<b>1.733</b>

प.क्र.-2051-री--1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0021-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अताएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अताएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अताएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 रान् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,	59	0.044
			65	0.050
			60	0.022
			62	0.019
			36/3	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,	42/1	0.028
			38/5	0.023
			43	0.043
			38/3	0.009
			38/4	0.017
			36/2/2	0.030
			36/2/1	0.009
			35/1/1	0.010
			34/2	0.017
			34/1	0.003
			102	0.006
			103	0.030
			104	0.008
			110	0.027
			130/1	0.018
			106/1	0.027
			106/2	0.029
			107/2	0.030
			109	0.013
			123/3	0.034
			123/5	0.023
			123/6	0.034
			394/1	0.036
			399/1	0.020
399/2	0.013			
399/3	0.009			
407	0.044			
412	0.023			
413/1/1/1	0.010			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,	417	0.030
			367	0.038
			416	0.024
			366/1	0.052
			363	0.017
			419/2	0.006
			419/3	0.026
			443	0.046
			444/2	0.033
			444/1	0.045
			446/7	0.034
			446/4	0.037
			446/3	0.054
कुल योग			47	1.210

प.क्र.-2056-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0073-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दन्तौली, प.ह.नं.-70, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-दन्तौली, प.ह.नं.-70	374/2	0.028
			419/1	0.019
			375	0.013
			376/1	0.061
			376/2	0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-दन्तौली, प.ह.नं.-70	373	0.009
			370/3	0.088
			379	0.027
			380	0.033
			381/1	0.028
			383/1	0.048
			385/1	0.009
			385/2	0.022
			386/2	0.025
			388	0.031
			393	0.014
			390/1	0.041
			394	0.005
			354	0.018
			353	0.016
			352	0.032
			396	0.041
			397/1	0.030
			400	0.021
			397/2/2	0.016
			397/2/1	0.015
			351	0.033
			50/3	0.021
			50/2	0.013
			50/1	0.015
			49/8	0.055
			49/7	0.016
54	0.002			
55/2	0.038			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-दन्तौली, प.ह.नं.-70	79	0.048
			77/6	0.029
			78	0.019
			75	0.023
			90	0.009
			95	0.050
			91	0.017
			96/2	0.014
			99	0.035
			98	0.010
			102	0.044
			103/1	0.038
			<b>कुल योग</b>	

प.क्र.-2061-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0068-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तलोण्डा, प.ह.नं.-70, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-तलोण्डा, प.ह.नं.-70,	74/3	0.010
			90/1	0.049
			90/2	0.015
			88/97	0.048
			88/7	0.020
			20	0.009
कुल योग			06	0.151

प.क्र.-2066-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0069-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 एवं एल.एम.-17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-12 के निर्माण एवं उरासे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिरूचना से संलग्न अनुराची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 रा.नं 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उरासे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुराची में वर्णित भूमि में हिताबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।**

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71,	160/2	0.013
			158/3	0.012
			158/2	0.022
			158/1	0.017
			128/6	0.080
			129	0.043
<b>कुल योग</b>			<b>06</b>	<b>0.187</b>

प.क्र.-2071-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0075-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 एवं आर.एम.-13 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सगवाल, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उरारों उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सगवाल, प.ह.नं.-89	470/5/1	0.045
			470/4/1	0.052
			470/4/2	0.012
			470/2	0.014
			470/3	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सगवाल, प.ह.नं.-89,	469	0.020
			334/2	0.014
			337/1	0.016
			333	0.060
			329/2	0.017
			329/1	0.011
			327/2	0.040
			327/1/2	0.016
			327/1/1	0.020
			395	0.015
			19/4	0.049
			116/2/1	0.021
			116/1	0.014
			115	0.037
			99/2/2	0.008
			100	0.087
			102	0.026
			41	0.017
			42	
			43/2	0.052
			73	0.029
			48/1	0.057
			50/1	0.059
			72/2/1	0.028
			72/2/2	0.018
			72/2/3	0.018
			72/1/1	0.044
			71/2	0.003
			69/1/3	0.019
			69/2	0.060
71/1/2	0.035			
70/2/2	0.015			
2	0.007			
कुल योग			37	1.085

प.क्र.-2076-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0072-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-लेडगांव, प.ह.नं.-72, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कर्मांक- 5 रान् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-लेडगांव,	2046	0.100
		प.ह.नं.-72,	2048	0.004
कुल योग			02	0.104

प.क्र.-2081-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0074-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एग.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एग.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,	80	0.008
			83	0.021
			82	0.040
			78	0.019
			81	0.010
धार	सरदारपुर	ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,	77/2	0.035
			75	0.030
			79	0.009
कुल योग			08	0.172

प.क्र.-2086-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0071-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम.-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं.-71, रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं.-71,	634/1	0.042
			634/2	0.062
			636/3	0.031
			638	0.035
			633/2	0.025
धार	सरदारपुर	ग्राम-कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं.-71,	619/3	0.021
			619/8	0.008
			619/7	0.010
			619/4	0.010
			619/1	0.019
			618	0.011
कुल योग			11	/ 0.274



प.क्र.-2091-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0046-ब-82-2022-23

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं.-दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उरामें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88,	169/1/1	0.038
			167	0.078
			166/2	0.040
			166/1	0.031
			164/2	0.057
			163	0.033
			174/1/2	0.014
<b>कुल योग</b>			<b>07</b>	<b>0.291</b>

प.क्र.-2096-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0070-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच मार्डनर पाईप नहर आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88, रा.नि.मं.-दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुरूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुरूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,	77	0.013
			78	0.043
			70/2/3	0.094
			70/2/2	0.004
			69/1	0.031

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,	69/2/1	0.021
			69/2/2	0.023
			69/3	0.034
			67/2	0.030
			67/1	0.063
			50/5	0.022
			132	0.005
			50/4	0.055
			50/3	0.082
			50/6/1/1/1	0.096
			51	0.030
			133	0.020
			53/2	0.004
			126	0.008
			53/3	0.025
			54/1	0.005
			56/3	0.039
			58	0.012
			56/2	0.008
			57/3/1	0.007
			57/3/2	0.009
			104	0.009
			107	0.005
			134/2	0.022
			127/6	0.025
			127/5	0.024
127/4	0.011			
127/3	0.011			
127/2	0.011			
127/1	0.011			
125/2	0.003			
कुल योग			<b>36</b>	<b>0.915</b>

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-7219-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 27 जून 2023

क्रमांक/14/3582 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 151 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्भवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम तुर्कीपुरा		तहसील नरसिंहगढ़		
संक्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	7.834	-	7.834

## अनुसूची(2)

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	सिंचित/असिंचित	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश , संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी	216/13	0.632	0.140	सिंचित	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	सम्पतबाई बेवा प्रभुलाल गंगाराम दयाराम रूकमणीबाई पिता प्रभुलाल जाति चमार निवासी तुर्कीपुरा	216/12/1	0.379	0.175	सिंचित	

3	जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	216/12/2	0.253	0.253	सिंचित	
4	मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी	216/11	0.632	0.570	सिंचित	
5	हेमन्त अग्रवाल पिता मोहनलाल जाति महाजन निवासी कुरावर	216/10	0.632	0.340	सिंचित	
		216/6	1.278	0.150	सिंचित	
6	राजलबाई पिता मूलचन्द्र जाति चमार निवासी गीलाखेडी	217/15/1	0.488	0.300	सिंचित	
7	श्यामलाल पिता लदूर रामबाबू अभिषेक पिता श्यामलाल ,वर्षा न.ब. पिता श्यामलाल सरक्षक श्यामलाल जाति चमार	217/1/2	0.633	0.432	सिंचित	
8	रसीदखा पिता मुन्शीखा जाति मुसलमान निवासी पीलूखेडी	239/1	0.613	0.100	सिंचित	
9	मंगलसिंह पिता कनीराम जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	239/2	0.612	0.612	सिंचित	
		238	0.025	0.015	सिंचित	
10	प्रेमसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	240/2	1.012	0.100	सिंचित	
11	चन्नारसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	236	1.379	0.150	सिंचित	
		234	0.772	0.060	सिंचित	
12	धापूबाई पत्नि मोडसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	235/1/1	0.228	0.208	सिंचित	
		231	0.375	0.375	सिंचित	
		232/2/2	0.182	0.090	सिंचित	
13	मोडसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	241/2	0.911	0.050	सिंचित	
14	कमलाबाई पत्नि गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	245/1	0.607	0.487	सिंचित	

		235/1/2	0.165	0.165	सिंचित	
15	मानोबाई पत्नि गोपाल सिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	235/2	0.062	0.062	सिंचित	
		245/2	0.595	0.505	सिंचित	
		232/2/1/2	0.087	0.087	सिंचित	
16	दीवानसिंह पिता हरीसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	232/2/1/1	0.096	0.096	सिंचित	
17	सूरजसिंह पिता धनसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	229/2	0.253	0.090	सिंचित	
18	गजराजसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/2	1.265	0.965	सिंचित	
19	रामसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/3/1	0.283	0.180	सिंचित	
		198/1/1	0.125	0.125	सिंचित	
		199/2/1	0.051	0.051	सिंचित	
20	लखनसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/3/2	0.223	0.185	सिंचित	
		198/2/1	0.126	0.126	सिंचित	
		199/2/2	0.050	0.050	सिंचित	
21	केसरसिंह पिता खेमचन्द्र जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	199/1/1	1.141	0.160	सिंचित	
		253/1/1	0.319	0.170	सिंचित	
22	गोरेलाल पिता नाथूलाल जाति बंजारा निवासी पीलूखेडी	253/2/1	0.446	0.210	सिंचित	
	<b>योग</b>	<b>35</b>	<b>16.930</b>	<b>7.834</b>		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7220-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/09/अर्ज/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 9/अर्ज चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम :- लसूडल्यारामनाथ		तहसील नरसिंहगढ़		
संक्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	23.053	-	23.053

## अनुसूची(2)

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा न०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1		3	4	5	6
1	रामसिंह रूपसिंह पिता प्रभूलाल , मनीषा पिता रामकिशन भूरीबाई नाबा पिता रामकिशन सर प काका रामसिंह पिता प्रभूलाल मु जानकी बाई बेवा प्रभूलाल जाति देशवाली	249/1	0.835	0.680	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
2	लाडकुवर पति प्रहलाद सिंह जाति राजपूत	249/2/1	0.456	0.253	

3	राजाराम पिता मांगीलाल जाति गाडरी	249/2/2	0.379	0.055	
4	भोलाराम पिता बन्शीलाल जाति बसोड	248/1/1/17	0.045	0.045	
5	विक्रमसिंह पिता शिवनारायण जाति खाती	250/1/1	1.151	0.080	
6	मांगीलाल पिता दरयाव जाति खाती हि.1/8, रमेश पिता दरयाव जाति खाती हि.1/8 भवरीबाई बेवा दरियाव हि.1/8, पन्नालाल पिता हजारी हि.1/8 बापूलाल पिता हजारी हि.1/8, मु. समरतबाई बेवा रूगनाथ जाति खाती हि.1/8, मनोज पिता रूगनाथ जाति हि.1/8, धनश्याम पिता रूगनाथ हि.1/8 जाति खाती	250/2/1	1.151	0.790	
		250/2/2	0.383	0.100	
7	सुरजबाई पत्नी मांगीलाल जाति चमार	248/1/1/6	0.632	0.250	
8	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति चमार	248/1/1/26	0.581	0.360	
9	हरि पिता मांगीलाल, भगवती-बाई पति हरि जाति चमार	248/1/1/2	0.632	0.045	
10	रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार	248/1/1/25	0.581	0.455	
11	कनीराम पिता गिरधारी जाति चमार	248/1/1/24	0.581	0.581	
12	कल्लू पिता मदन जाति भरगुन्डा	248/1/1/12/2	0.632	0.632	
13	बलदेव पिता चन्द्रसिंह जाति घोसी	253/2	1.740	0.055	
14	हरि पिता मेहताब जाति चमार	268/2	1.045	0.330	
15	भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति चमार	268/3	1.046	0.240	
16	हरिबक्स पिता मुन्नालाल जाति चमार	268/4	1.028	0.720	
17	पवनकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति महाजन	269/3/1	0.506	0.380	



18	सुनीलकुमार पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण	269/3/2	0.506	0.331	
19	ज्ञानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1/3 भाग, गम्भीर सिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1/3 भाग, कलाबाई पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1/3 भाग	269/1/1	0.606	0.105	
20	तारादेवी पति सूर्यपालसिंह भदोरिया जाति राजपूत	273/1/2	0.658	0.160	
21	धनसिंह पिता किशनलाल जाति घोसी	274/2/2	0.442	0.240	
22	जगदीश पिता नारायण सिंह जाति घोसी	391/1/1	0.249	0.195	
		391/1/4	0.430	0.115	
23	देवकरण पिता छीता जाति घोसी	391/2	0.259	0.110	
		391/1/3	0.101	0.060	
24	नारान सिंह पिता छीता जाति घोसी	392/2	0.215	0.160	
		390/2	0.380	0.253	
		391/1/2	0.328	0.250	
		391/3	0.175	0.125	
25	मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी	390/1	0.379	0.060	
26	लाडसिंह पिता मोहनलाल जाति घोसी	389/1	0.367	0.260	
27	काशीराम पिता गंगाधर जाति घोसी	389/2/1	0.183	0.138	
28	धापूबाई बेवा करण सिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग, मंगलसिंह पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग, जगदीशप्रसाद पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग, सचीनकुमार पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग	389/2/2	0.184	0.114	
29	नरबदसिंह पिता हजारीलाल जाति घोसी हि.1/2 भाग, भवरीबाई बेवा हजारीलाल जाति घोसी हि.1/2 भाग	389/3	0.367	0.340	
30	देवकरण राकेश पिता उम्मेदसिंह, धापूबाई बेवा उम्मेदसिंह जाति घोसी	772/1	0.295	0.020	

31	बीरबलसिंह पिता जगन्नाथ जाति घोसी	772/2	0.148	0.055	
32	राकेश पिता नरबदसिंह, सुगनबाई पुत्री नरबदसिंह मु शाताबाई बेवा नरबद सिंह केसरसिंह पिता रामप्रसाद जाति घोसी	366	0.468	0.110	
		367/2	0.097	0.035	
33	निर्मला बेवा ओमप्रकाश ,तरुण, राहुल, रानी पिता ओमप्रकाश जाति महाजन	367/1/2	0.291	0.100	
		365/2	0.215	0.190	
34	जुगराज सिंह पिता गोपालसिंह घोसी 127/190 भाग, हरिनारायण पिता बंशीलाल जाटव 8/190 भाग, तेजसिंह पिता लाखन सिंह गुर्जर 7/190 भाग, मुकूट कुमार नागर पिता बद्रीलाल नागर जाति धाकड 8/190 भाग रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 19/190 भाग, गीताबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर 09/190 भाग, रमादेवी पति जबर सिंह जाति गुर्जर 12/190 भाग	365/1/2	0.190	0.040	
35	भगवान सिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति घोसी	367/1/1	0.533	0.200	
36	कमलसिंह गणेशराम पिता बंशीलाल जाति घोसी	532/1	0.253	0.120	
		533/1	0.285	0.065	
37	रमेश पिता थानसिंह रामकुवरबाई बेवा थानसिंह जाति घोसी	532/2	0.342	0.050	
		533/2	0.676	0.240	
38	निर्मलाबाई पिता मिश्रीलाल जाति कायस्थ	523	0.506	0.256	
39	सत्यनारायण पिता भेरुवक्ष जाति कायस्थ	521	2.504	1.165	
		524	0.506	0.451	
		525	1.303	0.120	
		526/1	0.152	0.082	
		526/2	0.139	0.045	
		546	0.342	0.070	

40	सुन्दरलाल पिता किशनलाल जाति बलाई	547/1	0.460	0.355	
		548/1	0.139	0.139	
		550/1	0.215	0.215	
		552/1/1	0.032	0.032	
		551/1/1	0.386	0.361	
41	पदमसिंह पिता रामप्रसाद लालजी रमेश पिता रुगनाथ जाति बलाई	547/2	0.459	0.260	
		548/2	0.139	0.089	
		549/2	0.051	0.010	
		550/2	0.215	0.150	
		551/2/1	0.163	0.163	
42	नारान सिंह उकार 1/3, सुमन बाई बेवा बलदेव, प्रदीप, सदीप, पंकज पिता बलदेव 1/3, ललता बाई संगीता बाई पुत्री मांगीलाल 1/3 जाति बलाई	548/3	0.139	0.104	
		549/3	0.051	0.020	
		551/3	0.384	0.180	
		547/3	0.460	0.180	
		550/3	0.215	0.020	
43	भागवतबाई पत्नी लाडसिंह जाति घोसी	551/1/2	0.074	0.074	
		552/1/2	0.432	0.432	
44	मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी	553/2	1.007	0.060	
45	पृथ्वीसिंह पिता नानूराम जाति घोसी	584/2	0.766	0.030	
46	कमलाबाई पिता शिवचरण जाति गाडरी	581/3	0.447	0.020	
47	सुगनबाई पत्नी मनोहरसिंह जाति तेली	580/2	0.784	0.350	
		578/1/1	0.479	0.379	
		579/1/1	0.673	0.315	
48	महेश पिता भागीरथ जाति बलाई	579/1/2	0.459	0.439	
		578/1/2	0.300	0.020	
49	बापूलाल पिता प्रभुलाल जाति माली	576/2/1	0.190	0.070	
		576/1	0.072	0.072	
		577	0.506	0.260	
		579/2	0.120	0.080	
50	जितेन्द्र कुमार पिता धुलीजी जाति गाडरी	667/1	0.519	0.065	
51	कम्पूबाई बेवा रमेशचन्द्र देवा राजनाबा पिता रमेशचन्द्र सपमाता कम्पूबाई प्रहलाद सिंह प्रीतमसिंह, राधेश्या, राकेश पिता मांगीलाल जाति घोसी	668/1	0.924	0.350	
		668/2	0.784	0.583	
52	भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी	669/1/1	0.857	0.350	
53	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति घोसी	669/2	1.714	0.620	
54	भोलाराम पिता बुलाखी जाति भील	671/2/2	0.747	0.640	
55	प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति बलाई	671/2/3	0.137	0.087	
56	कनीराम, रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार	689/1/4	0.300	0.065	
57	कमलसिंह पिता नन्डूलाल जाति भील	672/1/3	0.228	0.195	

58	प्रेमबाई पिता नन्नूलाल जाति भील	672/1/2	0.228	0.070	
59	शिवलाल पिता दरियाव जाति भील	672/2/1	0.342	0.312	
60	रूपसिंह पिता दरियाव जाति भील	672/2/2	0.341	0.100	
61	प्रकाश पिता श्रीलाल जाति काछी हि.1/3 भाग, राधेश्याम पिता श्रीलाल जाति काछी हि.1/3 भाग, कमलाबाई बेवा श्रीलाल जाति काछी हि. 1/3 भाग	674/1	1.051	0.785	
62	लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	673/1	0.240	0.085	
63	नारायण सिंह पिता ललजी जाति काछी	676/1	0.949	0.455	
64	मोतीलाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	673/3	0.266	0.015	
65	हरिनारायण पिता रामचरण जाति घोसी	677	0.746	0.120	
66	श्रीमती पुनियाबाई पिता नारायण सिंह जाति काछी, लक्ष्मीबाई पति दुर्गप्रसाद जाति काछी	678	0.190	0.155	
		679	0.506	0.476	
		680/1	0.389	0.055	
<b>योग</b>		<b>104</b>	<b>50.293</b>	<b>23.053</b>	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7221-भू-अर्जन-2023

क्रमांक ~~01/284~~ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ~~01/284~~ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम माना		तहसील नरसिंहगढ़		
संक्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	11.185	-	11.185

## अनुसूची(2)

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नारायणसिंह पिता घीसालाल जाति खाती	564/1/1	2.112	0.520	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
2	भवंरलाल पिता घीसालाल जाति खाती	564/1/2	2.112	0.370	

3	घोसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलालजाति खाती	564/2/1	0.506	0.270	
4	जगन्नाथ पिता ईसर जाति खाती	564/2/2	0.505	0.380	
5	घोसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलाल हि- 50 जगन्नाथ पिता ईसर हि-50 जाति खाती	564/2/3	0.026.	0.026	
6	रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती	570/1	0.721	0.424	
7	नन्नूलाल ,देवकरण , विष्णु बापु ,दीपक पिता बट्टू , सोदरीबाई बेवा बट्टूलाल जाति चमार	596/4/4	0.086	0.086	
		596/5	0.316	0.300	
8	दिनेश कैलाश ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद सुगनबाई निर्मलाबाई पिता रामप्रसाद मोहन लाल पिता जगन्नाथ जाति खाती	573/1/1	0.506	0.100	
9	गोविंद राजू कमल पिता प्रभुलाल कांताबाई पुत्री प्रभुलाल जाति चमार	604/1/1	0.632	0.150	
10	इमरत बाई बेवा घुडीलाल चिंताबाई पिता घुडीलाल रानी कविता रवि कुमार नाबालिग महेश पिता घुडीलाल सर माता इमरतबाई बेवा घुडीलाल जाति चमार	596/7/1	0.900	0.360	
11	गंगाबाई बेवा रामा जाति चमार	596/7/2	0.276	0.013	
12	मांगीलाल पिता दरियाव सिंह जाति खाती	596/6/1/2	0.253	0.171	
13	देवीलाल पिता बोदर जाति चमार	596/6/1/1/1	0.608	0.420	
14	शिवनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती	596/6/1/1/2	0.168	0.100	
15	भंवरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती	596/6/1/1/3	0.168	0.080	
16	गोविन्द प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति खाती	596/6/1/1/4	0.168	0.080	
17	भंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती	558/1	1.220	0.253	

18	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	559	1.037	0.253	
19	श्रीराम पिता नंदराम जाति पंवार	552/1/1	0.533	0.240	
20	बद्रीप्रसाद पिता रामलाल जाति खाती	552/2/1	0.552	0.450	
21	हरिप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	542/1/1/1	0.213	0.120	
22	अमित कुमार पिता रामप्रसाद जाति खाती	542/1/2/1	0.214	0.040	
23	कालूराम पिता जगन्नाथ पुनियाबाई बेवा जगदीश विपता बाई नाबालिग पिता जगदीश संरक्षक पुनिया बाई जाति खाती	570/3	0.360	0.250	
		565/2/2	0.143	0.130	
24	दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति खाती	565/2/1/2	0.071	0.071	
25	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	565/2/1/1	0.071	0.071	
		565/1	0.284	0.190	
26	रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती	565/3	0.569	0.200	
27	रमेशचन्द्र पिता दरियाव सिंह जाति खाती	596/2/1	0.506	0.204	
28	पन्नालाल बापूलाल पिता हाजाशीलाल घनश्याम मनोज रेणु पिता रूगनाथ समर्थबाई बेवा रूगनाथ कोशल्याबाई बेवा गोविंदप्रसाद जाति खाती	596/2/2	0.506	0.190	
		596/1	1.074	0.450	
29	रोड़सिंह पिता चुन्नीलाल जाति गाडरी	596/6/3	0.506	0.080	
30	सुन्दरबाई पत्नि काशीराम जाति गाडरी	582/1	1.441	0.400	
31	मिश्रीलाल पिता गणपत जाति चमार	582/2	0.493	0.250	
32	छीतर रघुनाथ मोतीलाल श्रीकिशन पिता रामलाल हि 25 पैसे मॉंग्या पिता हरल्या हि 25 पैसे पूना पिता पन्ना हि 25 पैसे कल्लू पिता नन्नू नन्नी बेवा नन्नू हि 25 पैसे जाति चमार	588	1.164	0.300	
		595	0.101	0.040	

33	मांग्या पिता हरल्या जाति चमार	587	0.708	0.450	
		585	0.569	0.200	
		586/1	0.632	0.060	
34	सावित्रीबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति चमार कृष्णाबाई पत्नि रामसिंह जाति चमार	584/1	0.316	0.200	
35	शांतिबाई बेवा नन्नूलाल राजकुमार राजेशकुमार पिता नन्नूलाल कुसुमबाई पुत्री नन्नूलाल जाति कलाल	687/1/9	0.400	0.400	
36	शब्बीरखॉ यूसूफखॉ उर्फ यूसूफअली बेताव बी सहनाज बी पिता आशिकअली खातूनबी उर्फ हसीनाबी बेवा आशिकअली जाति फकीर	687/1/8	0.456	0.100	
37	फोजिया बी पत्नि मोहम्मद यूसूफ जाति मुसलमान	687/3/1	0.772	0.430	
		687/7/1	0.358	0.013	
		687/7/2	0.350	0.070	
38	रजियाशेख पत्नि जाकिर हुसैन जाति मुसलमान	687/2/1/1	0.506	0.270	
		687/2/1/2	0.252	0.200	
39	गोकलबाई पति जगन्नाथ जाति खाती	695/2	1.265	0.080	
40	रामेश्वर पिता शिवनारायण जाति खाती	688/2	1.562	0.280	
41	रामेश्वर विक्रम पिता शिवनारायण जाति खाती	689/1	1.265	0.270	
42	मोहनलाल पिता घीसीलाल जाति बलाई	581/2	0.500	0.130	
<b>योग</b>		<b>52</b>	<b>13.393</b>	<b>11.185</b>	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्र.-7222-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/13/अ-84 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/13/अ-84 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम घामघोर		तहसील नरसिंहगढ़		
संक्रण	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	3.509	-	3.509

## अनुसूची(2)

संक्रण	मस्वामी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सिंचित/असिंचित	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रामनाथ सिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत रकबा 1.265 धापू बाई पति रामसिंह जाति दांगी रकबा 0.506	171/2	1.771	0.900	सिंचित	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	राधेश्याम पिता रगलाल जाति दांगी	171/1/2	0.506	0.030	सिंचित	
		171/1/3/1	0.013	0.004	सिंचित	
		174/1/1	0.632	0.100	सिंचित	

3	विष्णुप्रसाद पिता रंगलाल दांगी	171/1/3/2	0.783	0.640	सिंचित	
4	देवचन्द्र ,राजाराम , सौरमबाई , कैलाश पिता किशनलाल मुकेश पिता ईमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार	193/5	1.000	0.085	सिंचित	
5	प्रभुलाल पिता मांगीलाल दंरयाव पति प्रभुलाल जाति चमार	195/6	0.759	0.100	सिंचित	
6	देवचन्द्र पिता किशना , राजाराम पिता किशना, कैलाशनारायण पिता किशना सौरमबाई पुत्री किशना ,मुकेश पिता ईमरतलाल , रामबाबू पिता इमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार	195/2	0.506	0.150	सिंचित	
7	देवचन्द्र पिता चैन्या जाति चमार	195/3	0.253	0.180	सिंचित	
8	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जति तेली	196/2	3.807	1.320	सिंचित	
	<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>10.030</b>	<b>3.509</b>		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-7223-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/04/884 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/884 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

ग्राम - बडोदिया तालाब		तहसील नरसिंहगढ़		
संक्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	24.253	-	24.253

## अनुसूची(2)

संक्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली	55/1	2.390	0.490	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि

2	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली	55/2/1	1.265	0.240	
3	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली	55/2/2	0.367	0.120	
4	नारायणसिंह पिता मांगीलाल देशवाली	56	1.619	0.370	
5	सोदानसिंह पिता माधूसिंह जाति नट	57	2.782	0.790	
6	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	59/1	0.556	0.250	
7	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	59/2	0.557	0.190	
8	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	60	1.265	0.220	
9	पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत	61/1	2.137	1.100	
10	नवीनराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत	61/2	1.100	0.630	
11	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	65/2	0.258	0.060	
12	देवेन्द्रप्रतापसिंह, नरेन्द्रप्रतापसिंह, हरेन्द्रप्रतापसिंह, दीपेन्द्रप्रतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत	65/1	3.865	0.515	
13	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	66/2	0.164	0.164	
14	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	66/3	0.025	0.025	
15	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	996/1	0.133	0.133	
16	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	996/2	0.133	0.133	
17	कंचनबाई बेवा मदनलाल काठी	1025	0.202	0.160	

18	कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी	1028/1	0.069	0.069	
19	कैलाश पिता मदनलाल काछी	1028/2	0.993	0.015	
20	नरेन्द्रपतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत	67/4/1	1.088	0.070	
21	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	67/3/1	0.551	0.075	
22	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	67/3/2	0.550	0.020	
23	कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी	1029/2/1	0.164	0.164	
24	कैलाश पिता मदनलाल काछी	1029/2/2	0.165	0.120	
25	कैलाशचन्द्र पिता गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/1	0.759	0.250	
26	रुकमणीबाई बेवा गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/2	1.518	0.330	
27	सुमनबाई बेवा मोतीलाल अनिल, आशाबाई, उषाबाई पिता मोतीलाल, गोकलबाई, गुलाबबाई पिता रामचरण, मांगीलाल पिता रणजीत, मांगीलाल पिता रणजीत, दरियावबाई, भागवती बाई, समरत बाई पुत्री रणजीत अनिल पिता मोतीलाल, सुमनबाई बेवा मोतीलाल, जमनाप्रसाद, रामकिशन पिता चैनसिंह जाति खाती, भूपेन्द्र पिता काशीराम, जाति अहिर, शिवलाल पिता रामचरण जाति बलाई	991/1	0.323	0.125	
28	कृष्णा बाई मानकुंवर बाई पुत्री बंशीलाल जाति खाती	991/2	0.107	0.039	
29	कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती	986	1.252	0.110	
30	कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती	987	0.342	0.200	
31	भंवरलाल पिता घीसा खाती	988	0.177	0.050	
32	दिनेश, मनोहर पिता बैजनाथ, कौशल्याबाई बेवा बैजनाथ खाती	989/4	0.152	0.152	
33	दरियावसिंह पिता घीसा खाती	989/5	0.050	0.050	
34	भंवरलाल पिता घीसा खाती	989/6	0.127	0.127	

35	राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल पिता जयनारायण जाति खाती	951	0.316	0.065	
36	राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल पिता जयनारायण जाति खाती	952	0.569	0.015	
37	राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल पिता जयनारायण खाती	954	0.190	0.080	
38	दरियाव पिता घीसालाल खाती	955	0.253	0.035	
39	सौबक्ष पिता रुगनाथ खाती	956	0.051	0.035	
40	राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल पिता जयनारायण खाती	957/2	0.341	0.320	
41	दरियावसिंह पिता घीसालाल खाती	957/1	0.051	0.051	
42	जगन्नाथ पिता नंदराम खाती	958	0.152	0.152	
43	कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती	959/1	0.076	0.076	
44	कांताबाई पिता शिवनारायण खाती	959/2	0.076	0.076	
45	शिवनारायण पिता अमरसिंह खाती, सुंदरबाई बेवा ईसर, पून्याबाई बेवा गणपत	960	0.342	0.090	
46	कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती	950/1	0.276	0.180	
47	कांताबाई पिता शिवनारायण खाती	950/2	0.276	0.180	
48	समंदरबाई पिता शिवनारायण खाती	950/3	0.460	0.360	
49	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	944/1	0.037	0.037	
50	गंगाधर पिता शिवनारायण खाती	945/1	0.050	0.050	
51	गंगाधर, श्रीलाल, सौरमबाई, चंदाबाई पिता शिवनारायण, जगन्नाथ, बैजनाथ पिता मुन्नालाल, कालूराम पिता सौबक्ष खाती	945/2	0.083	0.060	
52	रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ, कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	945/3	0.095	0.018	
53	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	936/1	0.487	0.260	
54	श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती	936/2	0.170	0.130	

55	रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	936/3	0.190	0.140	
56	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	936/4/1	0.506	0.300	
57	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	936/4/2	0.064	0.050	
58	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	937	0.038	0.038	
59	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	938/1	0.150	0.050	
60	रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ, कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	938/2	0.040	0.018	
61	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	939/2	0.252	0.140	
62	रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ, कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	939/3	0.100	0.050	
63	श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती	939/4	0.100	0.100	
64	गंगाधर पिता शिवनारायण खाती	939/5	0.100	0.050	
65	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	932	0.658	0.280	
66	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	931	0.101	0.091	
67	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	930	0.139	0.070	
68	कैलाशनारायण पिता कालूराम खाती	920	0.607	0.145	
69	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	921	0.481	0.481	
70	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	924	1.328	0.400	
71	विठठलप्रसाद पिता शिवनारायण खाती	922	0.063	0.032	
72	धीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	923	0.291	0.220	
73	यशोदा बाई पति मांगीलाल जाति खाती	585	0.253	0.190	
74	धीसीबाई बेवा मदन, लक्ष्मीनारायण दत्तक पिता मदन चमार	264/1	0.158	0.120	
75	सजनबाई बेवा सिद्धलाल जगदीश, मुकेश, राकेश, राजू, सुमित, दीपक पिता सिद्धलाल कविता पुत्री सिद्धलाल, बद्रीलाल, जगन्नाथ पिता रामा हि. 87 पैसे, पूनमचंद पिता रामा, हरकृबाई बेवा रामा हि. 13 पैसे चमार	264/2	0.158	0.158	
76	रूपाबाई बेवा आसाराम चमार	264/3	0.101	0.101	
77	मांगीलाल पिता चुन्नीलाल खाती	266	0.240	0.220	
78	रेणुबाई पति महेशबाबू, पूजा, अंकित पिता महेशबाबू, मोतीलाल पिता हीरालाल, रामेश्वर पिता हीरालाल खाती	265/1	0.108	0.060	
79	मांगीलाल पिता धीसालाल खाती	269/1	0.215	0.030	
80	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार	267/1/1	0.041	0.041	
81	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन पिता खेमचंद चमार	267/1/2	0.041	0.041	
82	रूपाबाई बेवा आसाराम चमार	267/2	0.057	0.057	

83	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/1	0.053	0.053	
84	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/2	0.054	0.054	
85	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	268/3	0.054	0.054	
86	रामकुंवरबाई पुत्री देवीसिंह राजपूत	268/4	0.054	0.054	
87	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौंदराबाई पिता गंगाधर चमार	263/1	0.098	0.010	
88	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन पिता खेमचंद चमार	263/2	0.098	0.015	
89	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौंदराबाई पिता गंगाधर चमार	263/3	0.098	0.020	
90	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन पिता खेमचंद चमार	263/4	0.098	0.025	
91	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/1	0.092	0.075	
92	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/2	0.091	0.060	
93	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	262/3	0.092	0.046	
94	रामकुंवरबाई पिता देवीसिंह राजपूत	262/4	0.092	0.025	
95	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/1	0.050	0.050	
96	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/2	0.051	0.046	
97	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	273/3	0.050	0.030	
98	रामकुंवरबाई पिता देवीसिंह राजपूत	273/4	0.051	0.021	
99	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	274	0.253	0.253	
100	मांगीलाल पिता बक्षु खाती	272/1	0.202	0.005	
101	सीताबाई पति कालूराम खाती	278/1	0.246	0.230	
102	गण्पूलाल पिता नाथू खाती	278/2	0.247	0.155	
103	आशा बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती	275/1	0.093	0.025	
104	रमेश पिता भंवरलाल खाती	275/2	0.185	0.050	
105	मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती	277	0.063	0.063	
106	मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती	276	0.253	0.203	



107	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिंद्रीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	279	0.266	0.090	
108	भगवतीबाई बेवा शंकरलाल खाती	280	0.291	0.060	
109	मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल खाती	281	0.240	0.005	
110	गण्डूलाल पिता नाथू खाती	290/1	0.069	0.005	
111	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती	290/2	0.070	0.035	
112	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	287	0.051	0.051	
113	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	288	0.051	0.051	
114	रमेश पिता भंवरलाल खाती	289/1	0.021	0.021	
115	बद्रीलाल पिता पन्नालाल खाती	289/2	0.021	0.021	
116	आशा बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती	289/3	0.021	0.021	
117	प्रेमनारायण पिता भंवरलाल खाती	291	0.291	0.221	
118	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	282	0.278	0.100	
119	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	286/1	0.063	0.063	
120	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिंद्रीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	286/2	0.051	0.051	
121	श्यामबाबू, पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	285/1	0.089	0.085	
122	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	285/2	0.012	0.012	
123	लक्ष्मीनारायण, रामबाबू पिता शंकरलाल खाती	284/1	0.080	0.070	
124	गण्डूलाल पिता नाथू खाती	284/2	0.080	0.075	
125	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती	284/3	0.080	0.080	
126	श्यामबाबू, पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	576/1	2.149	0.010	
127	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	306/2/1	0.143	0.100	
128	लखनलाल पिता रामचरण खाती	306/2/2	0.142	0.122	
129	मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती	305	0.101	0.005	
130	हीरालाल पिता बालकिशन खाती	408/2/1	0.158	0.100	
131	राधेश्याम पिता बालकिशन खाती	408/2/2	0.158	0.100	
132	शांतिबाई, भंवरबाई पुत्री हीरालाल खाती	409/1	0.158	0.015	
133	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	409/2/1	0.079	0.075	
134	लखनलाल पिता रामचरण खाती	409/2/2	0.079	0.079	
135	श्यामबाबू, पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	410	0.266	0.226	

136	ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	411	0.367	0.210	
137	राधेश्याम पिता हीरालाल खाती	415/1	0.045	0.015	
138	कैलाश पिता हीरालाल खानी	415/2	0.044	0.015	
139	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीश प्रसाद खाती	414	0.152	0.080	
140	ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल ,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	413	0.038	0.030	
141	मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती	412	0.101	0.090	
142	कैलाश पिता हीरालाल खाती	416/2	0.095	0.035	
143	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	427/1	0.050	0.050	
144	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती	427/3	0.388	0.020	
145	बालाबगस पिता बल्देव खाती	418	0.177	0.060	
146	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	426/1	0.338	0.190	
147	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	425	1.417	0.530	
148	बालाबगस पिता बल्देव खाती	424	1.467	0.780	
149	उमरावसिंह पिता बल्देव खाती	431	1.252	0.180	
150	राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती	443/1	0.626	0.040	
151	कैलाश पिता हीरालाल खाती	443/2	0.626	0.030	
152	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	444	1.429	0.010	
153	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	445	0.936	0.800	
154	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	449/2	0.700	0.620	
155	अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ	449/1/2/1/1	0.625	0.080	
156	अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ	450/2/2/1/1	0.050	0.020	
157	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	450/1	0.059	0.032	
158	अयोध्याबाई पत्नि मांगीलाल खाती	451/2	0.626	0.253	
159	धूलजी पिता बक्षू खाती	452/1/1	0.594	0.050	
160	धापूबाई बेवा भंवरलाल, रामबाबू, हिरदेश पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल बलाई	395/1/7	0.506	0.320	

161	गोविंदा पिता प्रभूलाल, ताराबाई बेवा गोविन्दा बलाई	395/1/8	0.506	0.140	
162	विजयसिंह, रामबाबू, लक्ष्मीचंद पिता भंवरलाल, काशीबाई बेवा भंवरलाल, सुशीलाबाई पुत्री भंवरलाल दांगी	395/3/1	1.202	0.320	
163	बैजनाथ पिता कनीराम, सुगनबाई पुत्री कनीराम, राधेश्याम पिता मदनलाल सेरिया	395/1/15	0.778	0.253	
164	रमेश पिता पूनमचंद, सौरमबाई पति रमेश सेरिया	395/1/16	0.778	0.550	
165	रंजीत पिता प्रहलाद, छमाबाई पत्नि रंजीत सेरिया	395/1/18	0.778	0.035	
166	प्रेम, चंदा, कृष्णा पिता भंवरलाल पारदी	395/1/17	0.777	0.005	
167	प्रेमनारायण, पर्वत पिता किशनलाल नट	483/1	0.873	0.210	
168	बापूलाल, जगन्नाथ पिता मांगीलाल, सावित्री पुत्री मांगीलाल चमार	483/2	0.632	0.090	
169	मांगीलाल, कौशल्याबाई, रेशमबाई, लीलाबाई पिता जगन्नाथ सेरिया	483/3	1.265	0.520	
170	घनश्याम, गोपाल पिता मुंशीलाल जाति नाई	483/4	1.265	0.050	
171	प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत	997/1	0.101	0.040	
172	पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन	997/2	0.531	0.050	
173	प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत	998/2/1/1	1.417	0.100	
174	पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन	998/2/1/2	0.228	0.050	
175	दिनेशकुमार, गोविन्द, सतीश पिता शिवनारायण, जानकी बाई बेवा शिवनारायण ब्राह्मण	998/2/1/3	0.373	0.080	
176	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	998/2/2	0.379	0.150	
	<b>महायोग</b>	<b>कित्ता 176</b>	<b>71.003</b>	<b>24.253</b>	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10-अ-82-23-24-भू-अर्जन-23-4975.

सागर, दिनांक 20 जून 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में वर्णित शासकीय भूमियों पर निर्मित मकान इत्यादि स्थावर परिसम्पत्तियों की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू. क-2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.-2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-

बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

परासरीकलों

4. पटवारी हल्का नं.

24

5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -

10532.88

:: अनुसूची ::

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	खसरा क्र.	कुल रकवा हे.	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का क्षेत्र. वर्ग मी. में
1	2	3	4	5	7
1	पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर	297	0.490	आवादी गॉवठांन	158.06
2	चैन सिंह पिता रामलाल	297	0.490	आवादी गॉवठांन	27.54
3	राजेन्द्र पिता चैन सिंह	297	0.490	आवादी गॉवठांन	27.54
4	कल्याण सिंह पिता चैनसिंह	297	0.490	आवादी गॉवठांन	27.54
5	दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह	297	0.490	आवादी गॉवठांन	27.54

6	नितिन पिता विन्दावन विश्वकर्मा	297	0.490	आवादी गौवठांन	49.36	
7	प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल	248	1.160	आवादी गौवठांन	40.26	
8	वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	40.26	
9	दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	40.26	
10	नर्मदा पिता रामरतन	248	1.160	आवादी गौवठांन	58.95	
11	रामकली बेवा रामरतन	248	1.160	आवादी गौवठांन	58.95	
12	मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	36.41	
13	नीरज पिता बलराम	248	1.160	आवादी गौवठांन	36.41	
14	दयाशंकर पिता बलराम	248	1.160	आवादी गौवठांन	36.41	
15	वृन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	27.96	
16	हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	27.96	
17	आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा	248	1.160	आवादी गौवठांन	27.96	
18	प्रेमबाई बेवा रामकिशन	248	1.160	आवादी गौवठांन	27.96	
19	सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद	248	1.160	आवादी गौवठांन	184.40	
20	राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर	248	1.160	आवादी गौवठांन	87.82	
21	अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	87.82	
22	धीरजसिंह पिता खुमानसींग	248	1.160	आवादी गौवठांन	300.90	
23	मिथलेश बेवा भारतसिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	133.54	
24	रोहित पिता भारतसिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	71.79	
25	रामसिंह पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	124.14	
26	रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	49.90	
27	शकुनबाई बेवा हुकमसिंह	248	1.160	आवादी गौवठांन	68.06	
28	पंकज पिता खूबसींग	248	1.160	आवादी गौवठांन	66.43	

29	बलबंत पिता खूवसींग	248	1.160	आवादी गॉवठांन	66.43	
30	खूबसींग पिता फूलसींग	248	1.160	आवादी गॉवठांन	144.75	
31	शान्तिबाई बेवा फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	72.60	
32	रामनरेश पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	176.34	
33	रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	166.21	
34	सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	278.35	
35	रामकेश पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	94.92	
36	दुर्गसिंह दग्गी पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	94.92	
37	प्रेमनारायण पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	94.92	
38	बहादुरसिंह पिता फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	94.92	
39	कमलरानी बेवा फूलसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	94.92	
40	मोतीसिंह पिता निर्भय	248	1.160	आवादी गॉवठांन	90.07	
41	मलखान सिंह पिता मोतीसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	90.07	
42	गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	70.23	
43	बलरामसिंह पिता भुजबल	248	1.160	आवादी गॉवठांन	72.20	
44	कुन्दनसिंह पिता भुजबल	248	1.160	आवादी गॉवठांन	72.20	
45	अनिलसिंह पिता भुजबल	248	1.160	आवादी गॉवठांन	72.20	
46	जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल	248	1.160	आवादी गॉवठांन	72.20	
47	सुग्रीवसिंह पिता भुजबल	164	0.550	आवादी गॉवठांन	160.82	
48	निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह	248	1.160	आवादी गॉवठांन	68.34	
49	गोविंद सिंह पिता नारायण	248	1.160	आवादी गॉवठांन	66.89	
50	आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी	248	1.160	आवादी गॉवठांन	66.89	
51	कृष्णा देवी बेवा नारायण	248	1.160	आवादी गॉवठांन	66.89	
52	मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी	248	1.160	आवादी गॉवठांन	50.46	

53	राजकुमार पिता मजबूत सिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	50.46	
54	रामबाबू पिता मजबूत सिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	50.46	
55	सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	116.50	
56	माखनसिंह पिता महतापसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	136.73	
57	रंजीत सिंह पिता माखन सिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	83.08	
58	गुडडी बाई बेवा रामचरण	274	0.040	आवादी गॉवठानं	47.68	
59	विक्रम सिंह पिता रामचरण	260	0.040	आवादी गॉवठानं	47.68	
60	बृजलाल पिता देवीसींग	248	1.160	आवादी गॉवठानं	57.45	
61	नारायणसिंह पिता चंदनसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	35.40	
62	पूरनसिंह पिता चंदन	248	1.160	आवादी गॉवठानं	76.63	
63	मलखानसींग पिता पूरनसींग	248	1.160	आवादी गॉवठानं	76.63	
64	हरचरण पिता मोहन	248	1.160	आवादी गॉवठानं	62.71	
65	बालकृष्ण पिता मोहन	248	1.160	आवादी गॉवठानं	62.71	
66	गनेश पिता मोहन	248	1.160	आवादी गॉवठानं	62.71	
67	बुन्देल सिंह पिता बारेलाल	176	0.072	आवादी गॉवठानं	74.73	
68	भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग	248	1.160	आवादी गॉवठानं	125.43	
69	शंकर सिंह पिता बुंदेलसींग	248	1.160	आवादी गॉवठानं	125.43	
70	रामसिंह पिता देवीसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	25.42	
71	फूलरानी बेवा देवीसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	25.42	
72	हरनाम सिंह पिता देवीसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	25.42	
73	लखन पिता देवीसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	25.42	
74	विक्रमसिंह पिता उधमसिंह	248	1.160	आवादी गॉवठानं	29.51	
75	उधमसिंह पिता भागीरथ	248	1.160	आवादी गॉवठानं	24.23	
76	प्रतापसिंह पिता भागीरथ	248	1.160	आवादी गॉवठानं	24.23	

77	उदयसिंह पिता भागीरथ	248	1.160	आवादी गॉवठांन	24.23	
78	राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर	248	1.160	आवादी गॉवठांन	24.23	
79	राजाराम पिता भागीरथ	248	1.160	आवादी गॉवठांन	70.35	
80	अजय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग अभय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग सीता पत्नि अजय 1/5 भाग आयुष्मान पिता अजय 1/5 भाग शोभारानी बेवा सुर्यप्रकाश 1/5 भाग	248	1.160	आवादी गॉवठांन	989.72	
81	राजेन्द्र पिता रामनारायण	248	1.160	आवादी गॉवठांन	364.19	
82	जितेन्द्र पिता रामनारायण	248	1.160	आवादी गॉवठांन	141.38	
83	मिथलेश बेवा रामनारायण	248	1.160	आवादी गॉवठांन	81.32	
84	दुर्गसींग पिता भुगंतसींग ✓	176	0.720	आवादी गॉवठांन	50.70	
85	छोटेलाल पिता भुगंतसींग	176	0.720	आवादी गॉवठांन	50.70	
86	सरदारसिंह पिता मोहन	176	0.720	आवादी गॉवठांन	101.38	
87	भूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह	176	0.720	आवादी गॉवठांन	99.84	
88	देवीसींग पिता सरदार सींग	176	0.720	आवादी गॉवठांन	124.50	
89	गनपत पिता सरदार	176	0.720	आवादी गॉवठांन	87.97	
90	जगतसिंह पिता प्रहलाद	176	0.720	आवादी गॉवठांन	83.42	
91	प्रहलाद पिता मोहन	176	0.720	आवादी गॉवठांन	82.77	
92	शेर सिंह पिता रामेश्वर	164	0.550	आवादी गॉवठांन	173.12	
93		248	1.160			
94	वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह	164	0.550	आवादी गॉवठांन	94.72	
95	लखन पिता हुकमसिंह	164	0.550	आवादी गॉवठांन	247.28	
96	छोटेसिंह पिता निर्भयसिंह	179	0.070	आवादी गॉवठांन	158.06	
97	रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह	178	0.400	आवादी गॉवठांन	106.31	



98	प्रभाबाई बेवा निर्मल	176	0.720	आवादी गॉवठांन	84.14	
99	चंद्रकांतसिंह पिता राजकुमार	176	0.720	आवादी गॉवठांन	41.74	
100	अमरसींग पिता गन्धर्व सींग	176	0.720	आवादी गॉवठांन	20.10	
101	प्रेमसिंह पिता महतापसिंह	176	0.720	आवादी गॉवठांन	53.66	
102	मोतीलाल पिता मोहन	176	0.720	आवादी गॉवठांन	47.10	
103	हरिशंकर पिता मोतीलाल	176	0.720	आवादी गॉवठांन	43.65	
104	राजेश पिता मोतीलाल	176	0.720	आवादी गॉवठांन	43.65	
105	शीलाबाई बेवा भोगीराम	176	0.720	आवादी गॉवठांन	61.72	
106	रामकृष्ण पिता भोगीराम	176	0.720	आवादी गॉवठांन	60.07	
107	सुरेश पिता हरीराम	263	0.110	आवादी गॉवठांन	36.27	
108	महेश पिता हरीराम	263	0-110	आवादी गॉवठांन	35.02	
109	कैलाश पिता मुल्ले	263	0-110	आवादी गॉवठांन	35.02	
110	संतोष पिता मुल्ले	263	0-110	आवादी गॉवठांन	78.14	
111	हनुमान मंदिर	274	0.040	आवादी गॉवठांन	136.58	
112	शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला	271	0.210	आवादी गॉवठांन	407.59	
113	शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला	271	0.210	आवादी गॉवठांन	369.30	
	<b>योग</b>				10532.880	

राज्य सरकार अनुसूची -1 में वर्णित भूमि एवं अनुसूची-2 में वर्णित मकान इत्यादी की श्रेणी तथा क्षेत्रफल भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत सर्वेक्षण उपरांत मौका पर पाई गई स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर वास्तविक प्रभावित क्षेत्रफल इत्यादी के आधार पर अर्जन की कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवका, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क. -2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति प्रारूप तैयार कर पुनर्वासन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**दीपक आर्य**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 21 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची -1

- 1 परियोजना का नाम :- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना  
 2 भूमि का विवरण :-  
 1. जिला :- सीहोर  
 2. तहसील :- श्यामपुर  
 3. ग्राम :- श्यामपुर  
 4. पटवारी हल्का नंबर :- 44  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 17.021 हेक्टेयर

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र	भूमिस्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	अर्जित रकबा (हेक्टे.)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
1	दिनेश पिता. नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	447/2/1	0.596	0.474	सिंचित	
2	रमेश पिता नारायणसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	448/3	4.653	0.016	सिंचित	
3	कृष्णाबाई पत्नी दिनेश जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	489/2/1	1.286	0.184	सिंचित	
4	रामकृष्ण पुत्र कैलाशचन्द्र जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	489/2/2	4.856	0.143	सिंचित	
5	दिनेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	490/1	0.312	0.312	सिंचित	
6	रमेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	490/2	0.313	0.127	सिंचित	बबूल-1, पलाश-2
7	मुकेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	490/3	0.313	0.229	सिंचित	
8	सरस्वती बेवा ललताप्रसाद जाति खंगार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	500/2/1	0.602	0.027	सिंचित	
9	शमीमबी पत्नी रफीक खां जाति पिंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	500/1/3	0.809	0.416	सिंचित	

10	मोरसिंह पिता बट्टुलाल जाति खंगार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	500/1/4	0.202	0.027	सिंचित	
11	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/1	1.011	0.897	सिंचित	
12	सुनील पिता राधेश्याम जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/2/1	1.428	0.391	सिंचित	कुआ-1
13	कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/3/1	0.017	0.004	सिंचित	
14	धापूबाई बेवा सीताराम, बालाप्रसाद आ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/3/2	0.792	0.631	सिंचित	नलकूप-1
15	रवि पिता रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/4	1.291	0.410	सिंचित	
16	शान्तीबाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/6	0.280	0.015	सिंचित	
17	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/7	0.481	0.481	सिंचित	नलकूप-1
18	धनराज पिता बाबूलाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	913/507/2	0.551	0.143	सिंचित	नलकूप-1
19	कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	913/507/3/1	0.036	0.036	सिंचित	
20	धापूबाई बेवा सीताराम बालाप्रसाद आ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	913/507/3/2	0.656	0.535	सिंचित	
21	लतीफखां पुत्र मोहम्मदखां जाति पिंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/9/1	1.618	0.076	सिंचित	
22	शान्तीबाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/10	0.526	0.469	सिंचित	अमरूद-1, आम-1, कुआ-1
23	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	920/535	0.987	0.053	सिंचित	कुआ-1
24	रोहित पिता धनराज जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	536/1,919/535	1.688	0.722	सिंचित	नलकूप-1, नीम-1
25	गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/13,917/511,918/511	0.542	0.044	सिंचित	
26	समंदरसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	532/4	0.392	0.027	सिंचित	
27	विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारायणसिंह समंदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया	533/1,547/1	2.598	0.082	सिंचित	

	बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ0 फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901, सोरम बेवा रामचरण नरेन्द्र आ0 रामचरण चन्दन सिंह आ0 करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी					
28	नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	533/2,547/2	1.214	0.160	सिंचित	कुआ-1
29	जरीना पत्नी नौशाद अली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	533/3,547/3	2.362	0.263	सिंचित	
30	अमरसिंह पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/1/1	1.106	0.219	सिंचित	
31	दिनेश पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	548/1/3	1.107	0.274	सिंचित	
32	प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश	548/2	0.457	0.171	सिंचित	
33	प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश	548/4	0.851	0.574	सिंचित	
34	सुरेश प्रीतमसिंह पुत्र भागीरथ जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	548/5	1.093	0.916	सिंचित	
35	नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/6	1.148	0.177	सिंचित	
36	दीवानसिंह पुत्र दरयाव सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/7	0.554	0.171	सिंचित	
37	लीलाबाई फुलवतीबाई बेवा विक्रमसिंह दिलीप अजय विजय पवन पुत्र विक्रमसिंह पूजा पुत्री विक्रमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	548/8	0.915	0.223	सिंचित	
38	कैलाश पिता घीसीलाल जाति चौरसिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	557/1/1	0.405	0.075	सिंचित	
39	विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ0 फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901, सोरम बेवा	557/1/2	0.931	0.016	सिंचित	

	रामचरण नरेन्द्र आ0 रामचरण चन्दन सिंह आ0 करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी					
40	प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	554/1	0.567	0.341	सिंचित	बबूल-1
41	अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	555/1	0.485	0.040	सिंचित	
42	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/1	0.405	0.227	सिंचित	
43	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/10	0.061	0.061	सिंचित	
44	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/13	0.676	0.080	सिंचित	
45	अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/15	0.709	0.412	सिंचित	
46	अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/16	0.202	0.065	सिंचित	
47	देवीलाल पुत्र नारानसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	703/5,704	2.670	0.907	सिंचित	
48	दिनेश पुत्र कनीराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	703/6, 704	1.214	0.151	सिंचित	
49	भवरलाल पिता सीताराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	720/1	1.978	0.913	सिंचित	नलकूप-2
50	महेश पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	721/1	1.619	0.027	सिंचित	
51	घनश्याम पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	721/3/1, 721/3/2	1.433	0.116	सिंचित	
52	अहमद खॉ पिता मोहम्मद खॉ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	724/1	1.275	0.944	सिंचित	बबूल-1
53	अहमद खॉ पिता मोहम्मद खॉ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	724/2	0.466	0.016	सिंचित	
54	शुभम पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	722/1,729	1.449	0.548	सिंचित	नलकूप-1, बैर-1, बबूल-1, सागौन-4, नीम-1
55	अंकित पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	722/2,729	3.102	0.904	सिंचित	
56	छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश	715/2	0.081	0.003	सिंचित	
57	प्रियंका देवी पत्नी रामसिंह पुत्र ब्रजकिशोर सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर	715/3/2	0.292	0.033	सिंचित	
58	प्रेमनारायण पिता खेमराज लक्ष्मी, गायत्री,	718	0.348	0.060	सिंचित	
	आशा, उमा, पुत्री खेमराज जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी					

59	आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	732/5	0.273	0.158	सिंचित	
60	आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	740/2/2	0.972	0.033	सिंचित	
61	छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश	741/3	0.798	0.406	सिंचित	
62	शुभम अंकित पिता प्रेमनारायण जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	743/2	1.619	0.086	सिंचित	
63	महेश कुमार पिता भवैरलाल जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	744/2/1	1.885	0.060	सिंचित	
64	शिवनारायण पिता लीलाकिशन पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 1120/1134 चेनसिंह दुर्गाप्रसाद जयसिंह पिता सुमेरसिंह जाति कुरावाह पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश हिस्सा 9/1134, नीलोफर पत्नी असलम खों पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 5/1134	746/1/2 /1	1.134	0.044	सिंचित	
65	भगवानसिग पिता लीलाकिशन जाति दांगी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	746/2/1	1.673	0.157	सिंचित	
66	गीतादेवीतोमर पत्नी छोटेसिंह तोमर जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	747/3	0.413	0.019	सिंचित	
कुल योग		कुल 66 किता	68.778	17.021		

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना हेतु।

4. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सीहोर तथा परियोजना प्रशासक उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिमी मध्य भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 184-भू-अर्जन-2023.

नरसिंहपुर, दिनांक 30 जून 2023

रा. मा. क्र.08-अ-82-2023-24, मौजा-पिटेहरा, प.ह.नं.-1, नं.बं. 309, तहसील-नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना में डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

### अनुसूची 1

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम          | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। |
| 2. भूमि का विवरण            |  |
| 1. जिला                     | : नरसिंहपुर                                      |
| 2. तहसील                    | : नरसिंहपुर                                      |
| 3. ग्राम                    | : पिटेहरा  |
| 4. प.ह.न.                   | : 01   |
| 5. नं.बं.                   | : 309  |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 8.145 हे.                                      |



## अनुसूची 2

स.क्र. *	हितवद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	रकबा हेक्टे .
1	2	3	4	5
1	चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	61/1, 62/1 67/1 69/1, 70/1, 71/1, 72/2, 74/1 71/4 73	0.157 0.057 0.020 0.300 0.283
2	चतराबाई वेवा धनसिंह चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	61/2, 62/2 67/2 72/2, 74/2	0.130 0.174 0.605
3	चंदाबाई जोजे कमलसिंह लोधी सा. बुधगांव	भूमि स्वामी	52/3, 53/3	0.088
4	मथुराबाई पत्नि महेश विश्वकर्मा सा. बसेडी तह. शहपुरा खेमाबाई पत्नि गोविन्द विश्वकर्मा सा. पौडी जथौरी सिलवानी	भूमि स्वामी	69/2, 70/2, 71/2	0.928
5	शोभाराम आ. रमेश मलाह सा. केरपानी	भूमि स्वामी	71/3	0.310
6	सुशीला बाई जोजे कमलेश मेहरा सा. बंधी सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	75/1/1	0.140
7	मूलचंद वल्द कन्हैयालाल गौड सा.देह	भूमि स्वामी	75/1/2	0.202
8	रामसिंह वल्द मदनकुमार गौड सा.देह	भूमि स्वामी	75/3/1 83/1/1	0.054 0.030
9	निरंजन सिंह वल्द कृष्ण कुमार गौड सा.देह	भूमि स्वामी	75/3/2 83/1/2	0.084 0.038
10	हरीराम पिता हटई उमेदीबाई वेवा दुमले उर्फ दुर्जन प्रहलाद प्रकाश उमाबाई पिता दुमले उर्फ दुर्जन ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	83/2	0.210
11	अश्विन काशिव वल्द श्रीराम काशिव किरण पत्नि अश्विन काशिव सा. कंदेली	भूमि स्वामी	84	0.670
12	केशरबाई वेवा छिदामी चेताराम केहरसिंह संताबाई पिता छिदामी ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	210	0.170
13	भगवान सिंह वल्द भवानी प्रसाद मेहरा सा.देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	160/1, 163/1 क, 164/1, 207/1, 209/1	0.411
14	मोहनबाई वेवा पीतम चमार सा.देह		160/4, 160/1 छ, 164/4, 207/4, 209/4	0.520
15	रामाबाई वेवा फदाली बालकिशन भगवान सिंह मुल्लाबाई पिता भुवानी मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	204	0.308
16	रूपकुमारी पत्नि प्रभुदयाल सिंह चन्द्रनारायण संगीता देवी पिता प्रभुदयाल जा राजगौड पता सा. बंधी		206	0.292

17	छिदामी घनश्याम तोपसिंह शीलाबाई पिता आलम अखिलेश कमलेश पिता गनेश मोनू आ. रिच्छू रज्जू माया भूरीबाई सुनीताबाई पिता मोहन बोटोबाई वेवा प्रीतम अंबिकाबाई किरनबाई पिता प्रीतम ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	208	0.640
18	लक्ष्मण सिंह वल्द तोपसिंह जाति मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	203	0.170
19	परषोत्तम रामकिशोर पिता वीरन जाति गडरिया सा. देह	भूमि स्वामी	199	0.050
			201	0.425
			202	0.291
20	टाबल वल्द दरईया चमार सा.देह	भूमि स्वामी	200	0.138
			197, 198	0.250
			<b>कुल योग</b>	<b>8.145</b>

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र. 186-भू-अर्जन-2023.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

### अनुसूची 1

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम          | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना। |
| 2. भूमि का विवरण            |  |
| 1. जिला                     | : नरसिंहपुर                                      |
| 2. तहसील                    | : नरसिंहपुर                                      |
| 3. ग्राम                    | : अमोदा  |
| 4. प.ह.न.                   | : 03   |
| 5. नं.ब.                    | : 10   |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 9.168 हे.                                      |

## अनुसूची 2

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	डोरीलाल वल्द गन्ने मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	35/1/9	0.048
2	टीकाराम मुन्नालाल खीरसागर हरप्रसाद देवीसिंह गायत्रीबाई वतीवाई पिता चुरामन मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	41	0.008
3	हल्कीबाई पत्नि जयराम तेजसिंह डालसिंह उर्फ जूजू गेंदालाल रमेश कन्हैयालाल गंगोबाई कल्लूबाई गुड्डीबाई जमनाबाई पिता जयराम मलाह सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	42/1, 44/1, 45/1	0.372
4	रोशनलाल वल्द लालसींग मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	42/2, 44/2, 45/2	0.218
5	टीकाराम वल्द लालसींग मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	42/3, 44/3, 45/3	0.100
6	विशाल हक्कीबाई रम्माबाई मुन्नीबाई सुशीलाबाई पिता रतन देवीसिंह प्रेमवती कुसुम दुर्गाबाई पिता सरदार मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	46/1	0.405
			46/2	0.610
7	अमर सिंह वल्द कोदूलाल मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	55/1	0.390
8	अमरसिंह वीरबहुदर डालसिंह डिल्लोबाई भग्गोबाई शुकनबाई पिता कोदूलाल धनोतीबाई बेबा नब्बू मोहन गोविंद हरप्रसाद पिता नब्बू मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	55/2	0.095
			56	0.320
9	डालसिंह कन्छेदी भग्गीबाई मोहनबाई हक्कीबाई रम्भाबाई पिता गुब्बे मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	83/2	0.020
			84	0.200
			85/1	0.170
10	भीकम वल्द गुलाब सिंह मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	85/2	0.168
			89	0.360
11	कन्छेदी डालसिंह पिता गुब्बे मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	90	0.280
12	सीताराम वल्द डब्बलसिंह मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	91	0.275
			92	0.060
			94/1	0.634
13	जीरालाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	95/1/1	0.009
			95/3/1	0.164
14	शकुन बाई वेवा पीतम, मुकेश पिता पीतम मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	95/1/2	0.018
			95/3/2	0.161
15	नन्हेलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	95/1/3	0.010
			95/3/3	0.161
16	बाबूलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	95/1/4	0.010
			95/3/4	0.161
17	डालसिंह वल्द कमल मलाह सा. अमोदा	भूमि स्वामी	95/1/5	0.014
			95/3/5	0.162

18	ललती बाई पत्नी कोमल ठाकुर सिंह, संतोष, उत्तम गुलाब, मुन्नी बाई, कला बाई पिता कोमल, कैलाश दशोदा बाई, सुषमा बाई, गौरा बाई, रजनी, ना0बा0 पिता भागीरथ वली व खुद मां भगोबाई पत्नि भागीरथ ढीमर सा. अमोदा	भूमि स्वामी	108/11	0.245
19	हाकम सिंह वल्द डब्ल सिंह मलाह सा देह	भूमि स्वामी	95/2	0.415
20	परमलाल दयाल पिता जीवन ढीमर सा देह	भूमि स्वामी	108/1	0.245
21	श्री जगतगुरु शंकराचार्य सदाव्रत अन्तसक्षेग गुरुगुफा गोविदनाथ वनसंचालक श्री निजायनंद ब्रम्हचारी गुरु श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज गुरु गुफा धूमगढ़	भूमि स्वामी	108/2 108/10	0.340 0.275
22	हेमराज डब्लूलाल केहरसिंह, पिता हेमराज हिम्मतसिंह गुल्लीबाई, वेवा रेवाराम ढीमर सा0 टोला नीमखेड़ा	भूमि स्वामी	108/3	0.250
23	गुडडा सुम्मा पिता दुर्जन ढीमर सा0 देह	भूमि स्वामी	108/4 103/2 105/1	0.003 0.027 0.020
24	तरवर बालाराम पिता शंकर लाल ढीमर सा0 देह	भूमि स्वामी	108/5	0.045
25	गीताबाई, सावित्री बाई पिता जालमसिंह सुभाष शिवराज जमना बाई, मतिबाई लीलाबाई पिता बेनीसिंह लोधी सा0 नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	108/6	0.300
26	औकारसिंह गम्मतसिंह पिता गौरीशंकर लोधी सा. पिपरिया	भूमि स्वामी	108/8-9	0.120
27	कल्याण हरिसिंह मुनीम नीरज पिता भगुन्त मुन्नीबाई पत्नि मुलाम राजेन्द्र देवसिंह वीरन घनश्याम नेतराम जयंतीबाई पिता मुलाम ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	108/12	0.540
28	क्षामसिंह वल्द छिदामीलाल ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	108/13 103/4 105/3	0.003 0.027 0.021
29	मुन्नीवाई बेवा गेंदालाल नौरिया सा. देह	भूमि स्वामी	108/15 103/6 105/5	0.003 0.027 0.020
30	गीताबाई पत्नि होरीलाल पंचू छोटेलाल पिता होरीलाल ढीमर सा.नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	108/17 103/8 105/7 108/18 103/9 105/8	0.004 0.027 0.020 0.023 0.027 0.020
31	अनीता पत्नि प्रहलाद अरविंद नर्बदीबाई जीजीबाई वत्तोबाई वंदना पिता प्रहलाद ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	108/19 103/10 105/9	0.003 0.027 0.020

32	बुध्दीबाई बेवा हीरालाल सोबरन सिंह वल्द हीराल ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	108/21	0.003
			103/12	0.027
			105/11	0.020
33	पूरनलाल वल्द सूरत सिंह ढीमर सा देह	भूमि स्वामी	108/23	0.125
34	सुंदरलाल वल्द शोभाराम ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	108/24	0.190
35	गोविंद प्रसाद प्रहलाद सुंदरलाल श्यामाबाई पिता टीकाराम ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	108/25	0.150
<b>कुल योग</b>				<b>9.168</b>

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक —एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 221-अ-82-2022-23.

रायसेन, दिनांक 4 जुलाई 2023

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	चौरस प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुर	कुल 5.689 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-4 के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	असय क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	विशालबाई बेवा छोटेला राजपूत	454/2/1	0.809	0.080
2	गोधनसिंह आ.रामचरन राजपूत	483/1	2.023	0.596
3	गिरवर सिंह आ.नर्वदा सिंह राजपूत	483/2/1	1.072	0.332
4	सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह	483/2/2	0.951	0.251
5	द्रोपतीबाई बेवा नर्वदा सिंह राजपूत	483/3	0.772	0.461
6	सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत	484/1	2.023	1.685
7	केशव सिंह आ.चंद्रपाल सिंह राजपूत	484/2	0.162	0.130

8	बाईसाहब बेवा पुष्कर सिंह जयहिन्द आ. पुष्कर सिंह राजपूत	484/3	1.639	1.011
9	सुरेन्द्र सिंह आ.भगवान सिंह राजपूत	484/4	1.274	0.340
10	राजकुमार आ.भगवान सिंह राजपूत	484/5	0.337	0.268
11	हरिबाई बेवा बालमोहन, प्रियका वंदना, अर्चना, अंजली, रामदेवी पुत्री बालमोहन	484/6	0.869	0.535
<b>कुल योग-</b>			<b>11.931</b>	<b>5.689</b>

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।



क्र. —अ—82—2022—23.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	चौरस प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुर	कुल 5.000 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

## अनुसूची-2

## (प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु ग्राम चौरास की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	असरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	थम्मन सिंह आ.गुन्चीलाल राजपूत	450/2	0.523	0.146
2	मुन्ना आ.घसिया केदारसिंह ,भोले सिंह,तुलसाबाई पिता शोरा बरूआ	452	0.320	0.320
3	कोगल सिंह आ.कुंजीलाल राजपूत	454/1/1/1	0.405	0.405
4	भानुप्रताप सिंह आ.कुंजीलाल राजपूत	454/1/2	0.307	0.307
5	रामपाल आ.कोमल सिंह राजपूत	454/1/1/2	1.550	1.468
6	विशाल बाई वेवा छोटेलाल राजपूत	454/2/1	0.809	0.324

7	ओमप्रकाश आ.छोटेलाल राजपूत	454/2/2	0.728	0.081
8	परषोत्तम आ. छोटेलाल राजपूत	454/2/3	0.725	0.203
9	आरामबाई पुत्री छोटेलाल राजपूत	454/3	0.809	0.623
10	रशिमबाई पत्नि मनोज शास्त्री जाति ब्राह्मण	454/4	1.308	1.123
कुल योग-			7.484	5.000

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री यमी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.raisen.nic.in](http://www.raisen.nic.in) एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-01-2022-सात-7.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 12, दिनांक 25 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई रीवा जिले की देवतालाब तहसील के सृजन से संबंधित प्रारम्भिक अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान तहसील मऊगंज व तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील देवतालाब को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है।

2. “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व लिखित में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

## अनुसूची

अनु- क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम व उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन में अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तहसील मऊगंज, मुख्यालय- मऊगंज.	मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 अपवर्जित होंगे.	तहसील- मऊगंज मुख्यालय- मऊगंज.	तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 50, 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 28, 30 एवं 52 से 55, 58, 59, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 31 से 39 व 41, 44 से 46 व 60 से 62, निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 63 से 85 समाविष्ट होंगे.	पूर्व—तहसील हनुमना पश्चिम—तहसील गुढ़ उत्तर—तहसील देवतालाब दक्षिण—तहसील चुरहट, जिला सीधी.	
2	तहसील नईगढ़ी, मुख्यालय- नईगढ़ी.	तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्ग के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 अपवर्जित होंगे.	तहसील- नईगढ़ी मुख्यालय- नईगढ़ी.	तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नं. 1 से 14 व 43 से 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्ग के पटवारी हल्का नं. 15 से 20 व 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे.	पूर्व—तहसील त्योंथर पश्चिम—तहसील मनगवां उत्तर—तहसील त्योंथर दक्षिण—तहसील मऊगंज.	
3	—	—	तहसील- देवतालाब मुख्यालय- देवतालाब	मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर	पूर्व—शेष तहसील मऊगंज पश्चिम—तहसील मनगवां उत्तर—शेष तहसील नईगढ़ी दक्षिण—तहसील मऊगंज.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43, तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्चा के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे.		

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-11-2020-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मुरैना जिले के अनुविभाग अम्बाह की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्ताव करती है.

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

#### अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान अनुविभाग और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनुविभाग-अम्बाह मुख्यालय-अम्बाह.	वर्तमान अनुविभाग अम्बाह से तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम अपवर्जित होंगे.	अनुविभाग-अम्बाह मुख्यालय-अम्बाह.	अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे.	पूर्व में—अनुविभाग पोरसा. पश्चिम में—प्रदेश राजस्थान. उत्तर में—चम्बल नदी उत्तरप्रदेश. दक्षिण में—अनुविभाग मुरैना.
2	—	—	अनुविभाग-पोरसा मुख्यालय-पोरसा.	तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे.	पूर्व में—ववारी नदी अनुविभाग मेहगांव जिला भिण्ड (म. प्र.) पश्चिम में—अनुविभाग अम्बाह. उत्तर में—चम्बल नदी उत्तरप्रदेश. दक्षिण में—अनुविभाग मुरैना.

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2023

क्र. A-3235-दो-2-38-2023.—श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 जून से 1 जुलाई 2023 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-3237-दो-2-9-2023.—श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 6 मई 2021 से 5 मई 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2023

क्र. A-3331-दो-2-18-2022.—श्री रूपम वेदी, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल वर्तमान में रजिस्ट्रार (W & I) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2018 से 17 मार्च 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023

क्र. A-3445-दो-2-34-2021.—श्री हेमन्त जोशी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (J) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 21 मई 2021 से 20 मई 2023 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023

क्र. A-3520-दो-2-3-2023.—श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर/सागर वर्तमान में रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2017 से 23 सितम्बर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2019 से 23 सितम्बर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-4194-दो-2-19-2015.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 2 से 9 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एच. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-2777-दो-2-41-2020.—श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार (I & L) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 मई से 3 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यव्यवस्था अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2023

क्र. A-3333-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 7 मार्च 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-3335-दो-2-13-2014.—श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 29 से 31 मई 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3984-चार-8-42-77 भाग-सोलह.—श्री राजीव कुमार अयाची, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 10 से 12 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023

क्र. A-3441-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर), स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के अनुसार—श्री चौबे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

नियम 20ए के अनुसार—श्री चौबे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	269
अर्द्धवेतन अवकाश	31

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 269 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश

के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 31  
भुगतान. 30

क्र. A-3443-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री सनत कुमार कश्यप, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के अनुसार—श्री कश्यप की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	172
अर्द्धवेतन अवकाश	128

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 172 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश

के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 128  
भुगतान. 30

क्र. B-4118-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री चन्द्रदेव शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 222
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 78
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 222 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश  
के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 78  
भुगतान. 30

क्र. B-4120-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-6967, दिनांक 13 नवम्बर 2019 निरस्त किया जाता है.

क्र. B-4123-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री गौड़ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 242
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 58
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 242 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश  
के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 58  
भुगतान. 30

क्र. B-4125-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-480, दिनांक 20 जनवरी 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र. B-4127-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 236
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 64
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 236 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश  
के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 64  
भुगतान. 30

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023

क्र. A-3518-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री कृपा शंकर शाक्य, सेवानिवृत्त द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री शाक्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	. . . 257
अर्द्धवेतन अवकाश	. . . 43
<hr/>	
योग : 300 दिवस	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 257 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 43  
भुगतान. 30

क्र. B-4179-दो-2-5-2023.—श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4204-दो-2-9-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 जनवरी 2023 तक, तीन दिन के अर्जित अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-4221-दो-2-101-2017.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 26 से 28 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जून 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4223-दो-2-31-2018.—श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4225-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 24 मई 2023 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।



कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4217-दो-2-56-2016.—श्री प्रेमनारायण सिंह, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर वर्तमान में माननीय न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, एक वर्ष 06 माह की अवधि के लिए बार्डिस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-4227-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार—श्री सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 276
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 24
<u>योग : 300 दिवस</u>	

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 276 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश  
के एवज में नगद = \_\_\_\_\_ X 24  
भुगतान. 30

क्र. B-4185-दो-2-30-2023.—श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-4199-दो-2-14-2021.—श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), वृत्त ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-2766-दो-2-41-2019.—श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक, कुल नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2782-दो-2-52-2015.—श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2784-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 15 जून से 1 जुलाई 2023 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2023

क्र. B-4233-दो-2-2-2021.—श्री आलोक अवस्थी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम् वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2023 तक, ग्यारह दिन के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश

नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-2800-दो-2-40-2019.—श्री अमिताभ मिश्र, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 25 से 24 अगस्त 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.